(1)

आर टी अई मामला-तत्काल

सं0 13012/2/2013- ओ. एंड एम.

भारत सरकार

उपभोक्ता मामले, खाद्य एंव सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

उपभोक्ता मामले विभाग

(ओ. एंड एम. सेल)

खान मंत्रालय
शास्त्री भवन, नई दिल्ली
17089
20 NOV 2013
डाक प्राप्ति

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक- 31/10/2013

कार्यालय ज्ञापन

विषय:-श्री डी. वी. अवस्थी, लखनउ से प्राप्त आर. टी. अई. अधिनियम, 2005 के अंतर्गत आवेदन पत्र।

PE cell 20/11

आर. टी. आई. अधिनियम के अंतर्गत श्री. डी. वी. अवस्थी, लखनउ से प्राप्त आवेदन पत्र दिनांकित 21.10.2013 के 3 आवेदन पत्रों के संदर्भ में सूचना निम्न प्रकार है:-

इस विभाग से संबंधित सभी सामान्य जानकारियां विभागीय वेब साइट www.consumeraffairs.nic.in में उपलब्ध है।

2. सूचना अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 19 (1) के अंतर्गत अपीलिय अधिकारी का विवरण निम्नलिखित है-

श्री मोहमद जाकिर हुसैन, निदेशक व प्रथम अपीलिय अधिकारी,
अपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली-1.(Tel: 011-23383120)

3. मांगी गई अतिरिक्त सूचनाओं केलिए इस विभाग के सभी सूचना अधिकारियों तथा अन्य मंत्रालय/विभागों को अंतरित किया जा रहा है। प्रार्थी से शुल्क प्राप्त हुआ है।

संलग्नक - यथोपरी

31/X/13

(राजेश बडगुज्जर)
अवर सचिव एवं केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी-नोडल

e-file-2/173/2013-PE.
MINES/R/2013/00051

विभाग के सभी CPIO

RTI Cell - सभी मंत्रालय / विभाग

प्रतिलिपि:-

श्री डी. वी. अवस्थी, 655ए/2/061, अलकापुरी, कुर्सी रोड, लखनउ - 226022.

(2

सूचना अधिकार अधिनियम २००५, के अन्तर्गत सूचना आवेदन

सेवा में, पार्ट -1

जन सूचना अधिकारी

कार्या० सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

विषयः-सूचना अधिकार अधिनियम २००५, की धारा ६ के अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाओं का बिन्दुवार प्रस्तुत फार्मेट के अनुरूप ३० दिवसो के अन्दर निस्तारण किये जाने के संबंध में।

सूचना प्राप्ति हेतु विवरण

1. आवेदक का नामः डी० वी० अवस्थी
2. आवेदक का डाक पता : 655 ग/2/061, अलकापुरी, कुर्सी रोड, लखनऊ-226022
3. मोबाइल नं० : 9935554957
4. उस अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिससे सूचनायें अपेक्षित है:- सचिव महोदय (उपभोक्ता मामले) की कार्यकारी शक्तियाँ जिन मंत्रालयों, विभागों एवं उनके संबद्ध-अधीनस्थ कार्यालयों व इकाईयों, संगठनों, संस्थानों, निकायों अथवा बोर्डों/परिषदों में सभाहित है।
5. उत कर्मचारी का नाम, पद नाम एवं कार्यालय जिसके संबंध में सूचनायें अपेक्षित हैं:- ....X..........
6. उस सक्षम अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिसके द्वारा आवेदन के सभी बिन्दुओं पर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख द्वारा विधि एवं कार्यालय नियमानुकूल निर्णय न लिये जाने के कारण प्रशासनिक निर्णय लिया जाना है-..........X..........
7. निर्धारित शुल्क जमा करने का विवरण :- १० रू० का शुल्क दिनांक 11.10.2013 पो० महानगर डाकघर से पोस्टल आर्डर सं० 17 F 509266 .... मूलरूप में संलग्न है।
8. सूचना प्राप्ति हेतु विषय विवरणः- मांगी जाने वाली सूचनायें बिन्दु 1 से 5 बिन्दु तक इस पत्र के साथ संलग्न है जिसके कुल पृष्ठों की संख्या .... है।
9. सूचना प्राप्ति का माध्यम : स्पीड पोस्ट द्वारा
10. विनम्र प्रार्थनाः- बिन्दु सं० ८ में प्रदान की जाने वाली सूचनाओं में प्रस्तुत कथनों एवं अंशों को बल/पुष्टि प्रदान करने वाले नियमों, आदेशों, शास्तियों, आधारों तथ्यों एवं अभिलेखों का उल्लेख करने की कृपा करे तथा बताये गये कारणो एवं उनके साक्ष्यों को भी प्रदान करने की कृपा करें ताकि दोनों पक्षों के धन व समय को नष्ट होने से बचाया जा सके।

11. संलग्नक विवरणः-

ए. मांगी जाने वाली सूचनाओं की सूची जिसकी कुल पृष्ठों की संख्या ....2.... है।

बी. शुल्क के रूप में रसीद/पोस्टल आर्डर संख्या 17 F 509266 संलग्न है।

सी. मांगी जाने वाली सूचनाओं की सूची से संबंधित प्रश्नों की कुल सं० ....X.... है।

सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम व मोहर ....

दिनांक 21.10.2013

आवेदन कर्ता

डी० वी० अवस्थी

655 ग/2/061, अलकापुरी,

कुर्सी रोड, लखनऊ-226022

पवित्र ग्रंथ- भारतीय संविधान
पावन मन्दिर- भारतीय संसद
हमारे देव - भारतीय नागरिक
त्योहार -15 अगस्त, 26 जनवरी

सूचना अधिकार
डी वी
लोक शिकायत निवारण
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

कार्यकरण में पारदर्शिता
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
उत्तरदायित्व का संवर्धन
व्यवहारिक शासन पद्धति

विषयः- विभागीय प्रचलित नियमों का सन्दर्भ लेते हुए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ३ में प्राप्त नागरिकों को सूचना के अधिकार के अधीन तथा धारा ६ की उपधारा (१) के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध।

महोदय,

- धारा २ की उपधारा (क) (प) (पप), (ख), के अधीन स्थापित, गठित स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित विभाग के मुख्यालय एवं उनके प्रभागों, शाखाओं व अनुभागों से संबंधित तथा विभाग के अधीन सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, समस्त इकाइयों से संबंधित तथा/या धारा २ (ज) में वर्णित प्राधिकारी या निकाय या स्वशासित संस्था द्वारा (जैसा हो) के संबंध में धारा २ की उपधारा (ग) (घ) (ङ.) के (प) (पप) (पपप) (पअ) व (अ) में वर्णित सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा उपधारा (छ) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत तथा धारा २ की उपधारा (च) में परिभाषित एवं उपधारा (ञ) में पहुँच योग्य, नियंत्रणाधीन या धारित तथा लोकप्राधिकारी द्वारा धारा ४ (१) के अंतर्गत सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमाणिका बद्ध तथा कम्प्यूटरी कृत रखे गये अभिलेखों/सूचना सामग्रियों से संबंधित वांछित सूचनाओं को उक्त धाराओं के अनुरुप या धारा ७ की उपधारा (६) के अनुरुप, जैसा भी उचित हो, के अनुरुप एवं धारा ४ (घ) के अन्तर्गत लिये गये विनिश्चियों के कारणों को उपलब्ध कराते हुए अधोलिखित वांछित सूचनाओं को धारा ७ की उपधारा १ से ६ तक के अन्तर्गत निस्तारित करने का कष्ट करें।
- मंत्रालय के सभी स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों व मंत्रालय के अधीन सभी विभागों के स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों तथा विभागों के सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनकी सभी इकाइयों में आर० टी० आई० अधिनियम-२००५ की मंशा के अनुसार अपने सभी अभिलेखों, प्रपत्रों रजिस्टरों, पत्रावलियों व अन्य यदि कोई हो को जिस रुप अथवा स्वरूप में अनुक्रमाणिका-बद्ध व सूची-बद्ध करके रखा है, उसी के अनुसार अथवा सूचना आवेदन में वर्णित बिन्दुओं के अनुरूप, जैसा भी हो कारणों को दर्शाते हुए आवश्यक प्रमाणित प्रतियों के साथ समस्त सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि जिस प्रकार महोदय जी द्वारा, अपने प्रशासकीय कार्यों का संचालन किये जाने हेतु, विभाग विषयान्तर्गत अपने सभी कार्यालयों से सूचनाएँ माँगते हैं एवम् सभी कार्यालय बिना टाल-मटोल के स्पष्टता के साथ आवश्यक प्रतियाँ संलग्न करते हुए सूचनाएँ समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हैं, उसी अन्दाज में आवेदन-कर्ता सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा रखता है।
- अत्यन्त विनम्रता पूर्वक दूसरा अनुरोध है कि टाल-मटोल करने वाले वाक्यांशों, अस्पष्ट एवम् भ्रामक सूचनाएँ दी जानी हो एवम् जिसके सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवम् केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग के मध्यस्थ बनने के उपरान्त ही लोक सूचना अधिकारियो द्वारा सूचना देना बाध्यकारी हो, अनुशासनिक कार्यवाही एवम् आर्थिक दण्ड की कार्यवाही की सम्भावना हो ऐसी सूचनाएँ न देने का कष्ट करें ताकि प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचना आयोग के समय को तथा पेड़ों को कटान से (अनावश्यक कागज का प्रयोग करने से) रोका जा सके व कार्यालयों एवम् मार्गों में भीड़ का कारण बनने मे सूचना आवेदन कर्ता सहयोगी न बनें।
- भारतीय संसद (जनता संसद) को धूमिल होने से बचाने हेतु जन-कल्याण के लिये प्राणों से भी प्यारी एवम् पवित्र संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का अक्षरशः अनुपालन करके ही उसकी एवम् लोक-तन्त्र की रक्षा सम्भव है।

अत्यंत विनम्रतापूर्वक एवं शालीनता के साथ आपकी प्रतिष्ठा में वांछित सूचना/शिकायतों के विवरण इस प्रकार है-

4/Dir (vig) /13
29/10. (4)

RTI Case
Do Not Delay

Format of letter for forwarding the Application Received to CPIO

Dir(Vig)/2013
29/10/13

JS (CA)/ 5593/Secy
Dt. 29. 10. 13

Department of Posts, India
Office of the chief Postmaster Lucknow GPO -226001

Secy. (CA)
Dy. No. 5593
Date 28/10

(Full Postal address with contact details)

Ref: L/RTI Act/2005/Lucknow GPO/13-14 dated 23-10-13

To,

CPIO/ ~~Appellate authority~~ with contact numbers

Secy (CA)
28/10/13

Sub Forwarding of application under RTI Act 2005 section 6(3)(i)(ii)

Sir/Madam,

I am forwarding a letter No........——........dated..23-10-13.......received from...P.V. Awasthi.......for further necessary action. The payment of application Fees has been made in cash in the post office under receipt no....F 507266........... has been made through DD/Cheque which is enclosed herewith.

DATE 23-10-13
(RTI Oblong Stamps)

Signature
CAPIO
o/o Chief Post Master
Lucknow 226001

Copy to:-
Applicant

Address:-

information requested by you is likely To be available with the above addressee (CPIO) You may contact the above addressee directly for any information clarification.

(5)

(5/RTI)

सूचना अधिकार
डी वी
लोक शिकायत निवारण
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय
[illegible]-15 अगस्त, 26 जनवरी

सूचना अधिकार अधिनियम २००५, के अन्तर्गत सूचना आवेदन

खंड -1

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

कार्यालय सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषय:- सूचना अधिकार अधिनियम २००५, की धारा ६ के अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाओं का बिन्दुवार प्रस्तुत फार्मेट के अनुरूप ३० दिवसों के अन्दर निस्तारण किये जाने के संबंध में।

सूचना प्राप्ति हेतु विवरण

१. आवेदक का नाम: डी० वी० अवस्थी
२. आवेदक का डाक पता: 655 स/2/061, अलकापुरी, कुर्सी रोड, लखनऊ-226022
३. मोबाइल नं०: 9935554957
४. उस अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिससे सूचनायें आपेक्षित है:- सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग की कार्यकारी शक्तियाँ जिन मंत्रालयों, विभागों एवं उनके संबद्ध-अधीनस्थ कार्यालयों व इकाईयों, संगठनों, संस्थानों, निकायों अथवा बोर्डों/परिषदों में समाहित है।
५. उस कर्मचारी का नाम, पद नाम एवं कार्यालय जिसके संबंध में सूचनायें अपेक्षित हैं:- ×
६. उस सक्षम अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिसके द्वारा आवेदन के सभी बिन्दुओं पर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख द्वारा विधि एवं कार्यालय नियमानुकूल निर्णय न लिये जाने के कारण प्रशासनिक निर्णय लिया जाना है- ×
७. निर्धारित शुल्क जमा करने का विवरण : १० रु० का शुल्क दिनांक 11.10.13 को महानगर डाकघर से पोस्टल आर्डर सं० 17 F 509267 क्रय कर के मूलरूप में संलग्न है।
८. सूचना प्राप्ति हेतु विषय विवरण:- 1(8)
मांगी जाने वाली सूचनायें बिन्दु 1 से 8 बिन्दु तक इस पत्र के साथ संलग्न है जिसके कुल पृष्ठों की संख्या [illegible]
९. सूचना प्राप्ति का माध्यम : स्पीड पोस्ट द्वारा
१०. विनम्र प्रार्थना:- प्रश्न सं० ८ में प्रदान की जाने वाली सूचनाओं में प्रस्तुत कथनों एवं अंशों की [illegible] करने वाले नियमों, आदेशों, शास्तियों, आधारों तथ्यों एवं अभिलेखों का उल्लेख करने की कृपा करें तथा [illegible] गए कारणों एवं उनके साक्ष्यों को भी प्रदान करने की कृपा करें ताकि दोनों पक्षों के धन व समय का [illegible] होने से बचाया जा सके।
११. संलग्नक विवरण:-
क. मांगी जाने वाली सूचनाओं की सूची जिसकी कुल पृष्ठों की संख्या 1 है।
ख. शुल्क के रूप में रसीद/पोस्टल आर्डर संख्या 17 F 509267 संलग्न है।
ग. मांगी जाने वाली सूचनाओं की सूची से संबंधित प्रपत्रों की कुल सं० × है।
सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम व मोहर

दिनांक 21.10.2013

आवेदक के हस्ताक्षर
डी० वी० अवस्थी
655 स/2/061, अलकापुरी
कुर्सी रोड, लखनऊ-226022

(6)

पवित्र ग्रन्थ- भारतीय संविधान
पावन मन्दिर- भारतीय संसद
हमारे देव - भारतीय नागरिक
त्योहार -15 अगस्त, 26 जनवरी

सूचना अधिकार
लोक शिकायत निवारण
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

भ्रष्टाचार मुक्त ...
उत्तरदायित्व का संवर्धन
व्यावहारिक शासन पद्धति

विषयः- विभागीय प्रचलित नियमों का सन्दर्भ लेते हुए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ३ में प्राप्त नागरिकों को सूचना के अधिकार के अधीन तथा धारा ६ की उपधारा (१) के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध।

महोदय,

- धारा २ की उपधारा (क) (प) (पप), (ख), के अधीन स्थापित, गठित स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित विभाग के मुख्यालय एवं उनके प्रभागों, शाखाओं व अनुभागों से संबंधित तथा विभाग के अधीन सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, समस्त इकाइयों से संबंधित तथा/या धारा २ (ज) में वर्णित प्राधिकारी या निकाय या स्वशासित संस्था द्वारा (जैसा हो) के संबंध में धारा २ की उपधारा (ग) (घ) (ड.) के (प) (पप) (पपप) (पअ) व (अ) में वर्णित सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा उपधारा (छ) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत तथा धारा २ की उपधारा (च) में परिभाषित एवं उपधारा (ञ) में पहुँच योग्य, नियंत्रणाधीन या धारित तथा लोकप्राधिकारी द्वारा धारा ४ (१) के अंतर्गत सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमाणिका बद्ध तथा कम्प्यूटरी कृत रखे गये अभिलेखों/सूचना सामग्रियों से संबंधित वांछित सूचनाओं को उक्त धाराओं के अनुरुप या धारा ७ की उपधारा (६) के अनुरुप, जैसा भी उचित हो, के अनुरुप एवं धारा ४ (घ) के अन्तर्गत लिये गये विनिश्चियों के कारणों को उपलब्ध कराते हुए अधोलिखित वांछित सूचनाओं को धारा ७ की उपधारा १ से ६ तक के अन्तर्गत निस्तारित करने का कष्ट करें।
- मंत्रालय के सभी स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों व मंत्रालय के अधीन सभी विभागों के स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों तथा विभागों के सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनकी सभी इकाइयों में आर० टी० आई० अधिनियम-२००५ की मंशा के अनुसार अपने सभी अभिलेखों, प्रपत्रों रजिस्टरों, पत्रावलियों व अन्य यदि कोई हो को जिस रूप अथवा स्वरूप में अनुक्रमणिका-बद्ध व सूची-बद्ध करके रखा है, उसी के अनुसार अथवा सूचना आवेदन में वर्णित बिन्दुओं के अनुरूप, जैसा भी हो कारणों को दर्शाते हुए आवश्यक प्रमाणित प्रतियों के साथ समस्त सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- अत्यन्त विनम्रतापूवक अनुरोध है कि जिस प्रकार महोदय जी द्वारा, अपने प्रशासकीय कार्यों का संचालन किये जाने हेतु, विभिन्न विषयान्तर्गत अपने सभी कार्यालयों से सूचनाएँ माँगते हैं एवम् सभी कार्यालय बिना टाल-मटोल के स्पष्टता के साथ आवश्यक प्रतियों को संलग्न करते हुए सूचनाएँ समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हैं, उसी अन्दाज में आवेदन-कर्ता सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा रखता है।
- अत्यन्त विनम्रता पूर्वक दूसरा अनुरोध है कि टाल-मटोल करने वाले वाक्याँशों, अस्पष्ट एवम् भ्रामक सूचनाएँ दी जानी हो एवं जिनके सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवम् केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग के मध्यस्थ बनने के उपरान्त ही लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना देना बाध्यकारी हो, अनुशासनिक कार्यवाही एवम् आर्थिक दण्ड की कार्यवाही की सम्भावना हो ऐसी सूचनाएँ न देने का कष्ट करें ताकि प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचना आयोग के समय को तथा पेड़ों को कटान से (अनावश्यक कागज का प्रयोग करने से) रोका जा सके व कार्यालयों एवम् मार्गों में भीड़ का कारण बनने मे सूचना आवेदन कर्ता सहयोगी न बनें।
- भारतीय संसद (जनता संसद) को धूमिल होने से बचाने हेतु जन-कल्याण के लिये प्राणों से भी प्यारी एवम् पवित्र संसद द्वारा बनाये गये कानूनों का अक्षरशः अनुपालन करके ही उसकी एवम् लोक-तन्त्र की रक्षा सम्भव है।

अत्यंत विनम्रतापूर्वक एवं शालीनता के साथ आपकी प्रतिष्ठा में वांछित सूचना/शिकायतों के विवरण इस प्रकार है-

(7)

RTI Case
Do Not Delay

Format of letter for forwarding the Application Received to CPIO

Department of Posts, India
Office of the chief Postmaster Lucknow GPO -226001

(Full Postal address with contact details)

Ref: L/RTI Act/2005/Lucknow GPO/13-14 dated 23-10-13

Secy (CA)
उपभोक्ता मामले विभाग
प्राप्ति दिनांक...28/10/13.......
सी.आर.संख्या.........................
अनुभाग डायरी संख्या.[illegible]/RTI/13

To,

CPIO/ Appellate authority with contact numbers
सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली - [illegible]

Sub Forwarding of application under RTI Act 2005 section 6(3)(i)(ii)

Sir/Madam,

I am forwarding a letter No....../..............dated..22-10-13.....received from..D.V....Awasthi.......for further necessary action. The payment of application Fees has been made in cash in the post office under receipt no...17F 508267.............. has been made through DD/Cheque which is enclosed herewith.

DATE 23-10-13
(RTI Oblong Stamps)

Signature
CAPIO
[illegible] Chief Post Master
Lucknow [illegible] 226001

Copy to:- Sri D.V Awasthi
Applicant
655 E/2/061 [illegible]

Address:- [illegible]

information requested by you is likely To be available with the above addressee (CPIO) You may contact the above addressee directly for any information clarification.

— 16 -

RTI

पवित्र ग्रन्थ- भारतीय संविधान
पूजन मन्दिर- भारतीय संसद
हमारे देव - भारतीय नागरिक
त्योहार -15 अगस्त, 26 जनवरी

भारतीय जनजागरण
सूचना अधिकार
सर्वे भवन्तु सुखिनः
डी वी
हम सब भारतीय हैं
लोक शिकायत निवारण
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

कार्यकरण में पारदर्शिता
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
उत्तरदायित्व का संवर्धन
व्यावहारिक प्रशासन पद्धति

सूचना अधिकार अधिनियम २००५, के अन्तर्गत सूचना आवेदन

खंड-2

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

कार्या० सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषयः-सूचना अधिकार अधिनियम २००५, की धारा ६ के अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाओं का बिन्दुवार प्रस्तुत फार्मेट के अनुरूप ३० दिवसों के अन्दर निस्तारण किये जाने के संबंध में।

सूचना प्राप्ति हेतु विवरण

१. आवेदक का नामः डी०वी०अवस्थी

२ आवेदक का डाक पता : 655 ख/ख/061, अलकापुरी, कुर्सी रोड, लखनऊ-226022

३. मोबाइल नं० : 9935554957

४. उस अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिससे सूचनायें आपेक्षित है:- सचिव उपभोक्ता मामले विभाग की कार्यकारी शक्तियाँ जिन मंत्रालयों, विभागों एवं उनके संबद्ध-अधीनस्थ कार्यालयों व इकाईयों, संगठनों, संस्थानों, निकायों अथवा बोर्डों/परिषदों में समाहित है ।

५. उस कर्मचारी का नाम, पद नाम एवं कार्यालय जिसके संबंध में सूचनायें आपेक्षित हैः- ×

६. उस सक्षम अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिसके द्वारा आवेदन के सभी बिन्दुओं पर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख द्वारा विधि एवं कार्यालय नियमानुकूल निर्णय न लिये जाने के कारण प्रशासनिक निर्णय लिया जाना है- ×

७. निर्धारित शुल्क जमा करने का विवरण :- १० रु० का शुल्क दिनांक 11.10.2013 को महानगर डाकघर से पोस्टल आर्डर सं० 17F 509270 क्रय कर के मूलरूप में संलग्न है।

८. सूचना प्राप्ति हेतु विषय विवरणः-
मांगी जाने वाली सूचनायें बिन्दु 1 से 17 बिन्दु तक इस पत्र के साथ संलग्न है जिसके कुल पृष्ठों की संख्या........ है।

९. सूचना प्राप्ति का माध्यम स्पीड पोस्ट द्वारा

१०. विनम्र प्रार्थनाः- बिन्दु सं० ८ में प्रदान की जाने वाली सूचनाओं में प्रस्तुत कथनों एवं अंशों को बल/पुष्टि प्रदान करने वाले नियमों, आदेशों, शास्तियों, आधारों तथ्यों एवं अभिलेखों का उल्लेख करने की कृपा करे तथा बताये गये कारणों एवं उनके साक्ष्यों को भी प्रदान करने की कृपा करें ताकि दोनों पक्षों के धन व समय को नष्ट होने से बचाया जा सके।

११. संलग्नक विवरणः-

ए.मांगी जाने वाली सूचनाओं की सूची जिसकी कुल पृष्ठों की संख्या 2 है।

बी.शुल्क के रूप में रसीद/पोस्टल आर्डर संख्या 17F 509270 संलग्न है।

सी.मांगी जाने वाली सूचनाओं की सूची से संबंधित प्रपत्रों की कुल सं० × है।

सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम व मोहर........................

दिनांकः 21.10.2013

आवेदन कर्ता
(डी०वी०अवस्थी)
655 ख/ख/061, अलकापुरी
कुर्सी रोड, लखनऊ-226022

10

Jankaar07

(9)

पवित्र ग्रन्थ- भारतीय संविधान
पावन मन्दिर- भारतीय संसद
हमारे देव - भारतीय नागरिक
त्योहार -15 अगस्त, 26 जनवरी

भारतीय जनजागरण
सूचना अधिकार
डी वी
लोक शिकायत निवारण
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

कार्यकरण में पारदर्शिता
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
उत्तरदायित्व का संवर्धन
व्यावहारिक शासन पद्धति

विषयः- विभागीय प्रचलित नियमों का सन्दर्भ लेते हुए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ३ में प्राप्त नागरिकों को सूचना के अधिकार के अधीन तथा धारा ६ की उपधारा (१) के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध।

महोदय,

- धारा २ की उपधारा (क) (प) (पप), (ख), के अधीन स्थापित, गठित स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित विभाग के मुख्यालय एवं उनके प्रभागों, शाखाओं व अनुभागों से संबंधित तथा विभाग के अधीन सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, समस्त इकाइयों से संबंधित तथा/या धारा २ (ज) में वर्णित प्राधिकारी या निकाय या स्वशासित संस्था द्वारा (जैसा हो) के संबंध में धारा २ की उपधारा (ग) (घ) (ड.) के (प) (पप) (पपप) (पअ) व (अ) में वर्णित सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा उपधारा (छ) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत तथा धारा २ की उपधारा (च) में परिभाषित एवं उपधारा (ञ) में पहुँच योग्य, नियंत्रणाधीन या धारित तथा लोकप्राधिकारी द्वारा धारा ४ (१) के अंतर्गत सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमाणिका बद्ध तथा कम्प्यूटरी कृत रखे गये अभिलेखों/सूचना सामग्रियों से संबंधित वांछित सूचनाओं को उक्त धाराओं के अनुरुप या धारा ७ की उपधारा (६) के अनुरुप, जैसा भी उचित हो, के अनुरुप एवं धारा ४ (घ) के अन्तर्गत लिये गये विनिश्चियों के कारणों को उपलब्ध कराते हुए अधोलिखित वांछित सूचनाओं को धारा ७ की उपधारा १ से ९ तक के अन्तर्गत निस्तारित करने का कष्ट करें।
- मंत्रालय के सभी स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों व मंत्रालय के अधीन सभी विभागों के स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों तथा विभागों के सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनकी सभी इकाइयों में आर० टी० आई० अधिनियम-२००५ की मंशा के अनुसार अपने सभी अभिलेखों, प्रपत्रों रजिस्टरों, पत्रावलियों व अन्य यदि कोई हो को जिस रूप अथवा स्वरूप में अनुक्रमणिका बद्ध व सूची-बद्ध करके रखा है, उसी के अनुसार अथवा सूचना आवेदन में वर्णित बिन्दुओं के अनुरुप, जैसा भी हो कारणों को दर्शाते हुए आवश्यक प्रमाणित प्रतियों के साथ समस्त सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि जिस प्रकार महोदय जी द्वारा, अपने प्रशासकीय कार्यों का संचालन किये जाने हेतु, विभिन्न विषयान्तर्गत अपने सभी कार्यालयों से सूचनाएं माँगते हैं एवम् सभी कार्यालय बिना टाल-मटोल के स्पष्टता के साथ आवश्यक प्रतियों को संलग्न करते हुए सूचनाएँ समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हैं, उसी अन्दाज में आवेदन-कर्ता सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा रखता है।
- अत्यन्त विनम्रता पूर्वक दूसरा अनुरोध है कि टाल-मटोल करने वाले वाक्याँशों, अस्पष्ट एवम् भ्रामक सूचनाएँ दी जाना व ऐसी जिनके सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवम् केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग के मध्यस्थ बनने के उपरान्त ही लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना देना बाध्यकारी हो, अनुशासनिक कार्यवाही एवम् आर्थिक दण्ड की कार्यवाही की सम्भावना हो ऐसी सूचनाएँ न देने का कष्ट करें ताकि प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचना आयोग के समय को तथा पेड़ों को कटान से (अनावश्यक कागज का प्रयोग करने से) रोका जा सके व कार्यालयों एवम् मार्गों में भीड़ का कारण बनने मे सूचना आवेदन कर्ता सहयोगी न बनें।
- भारतीय ससंद (जनता ससंद) को धूमिल होने से बचाने हेतु जन-कल्याण के लिये प्राणों से भी प्यारी एवम् पवित्र ससंद द्वारा बनाये गये क़ानूनों का अक्षरशः अनुपालन करके ही उसकी एवम् लोक-तन्त्र की रक्षा सम्भव है।

अत्यंत विनम्रतापूर्वक एवं शालीनता के साथ आपकी प्रतिष्ठा में वांछित सूचना/शिकायतों के विवरण इस प्रकार है-

JS (CA)/ 5592/Secy
D: 29.10.13

RTI Case
Do Not Delay

Format of letter for forwarding the Application Received to CPIO

Secy. (CA)
Dy. No. 55922
Date 28/10

Department of Posts, India
Office of the chief Postmaster Lucknow GPO -226001

(Full Postal address with contact details)

Ref: L/RTI Act/2005/Lucknow GPO/13-14 dated 23-10-13

To,

CPIO/ ~~Appellate authority~~ with contact numbers

Sub Forwarding of application under RTI Act 2005 section 6(3)(i)(ii)

Sir/Madam,

I am forwarding a letter No....../.............dated..23-10-13....received from..........................for further necessary action. The payment of application Fees has been made in cash in the post office under receipt no...................... has been made through DD/Cheque which is enclosed herewith.

DATE 23-10-13
(RTI Oblong Stamps)

Signature
CAPIO
c/o Chief Post Master
Lucknow GPO 226001

Copy to:-
Applicant

Address:-

information requested by you is likely To be available with the above addressee (CPIO) You may contact the above addressee directly for any information clarification.

पवित्र ग्रन्थ- भारतीय संविधान
पावन मन्दिर- भारतीय संसद
हमारे देव - भारतीय नागरिक
त्योहार -15 अगस्त, 26 जनवरी

भारतीय जनजागरण
सूचना अधिकार
डी वी
लोक शिकायत निवारण
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

कार्यकरण में पारदर्शिता
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
उत्तरदायित्व का संवर्धन
व्यवहारिक शासन पद्धति

(8) RTI

सूचना अधिकार अधिनियम २००५, के अन्तर्गत सूचना आवेदन

पार्ट - 2

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

कार्या० सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग,

कृषि भवन, नई दिल्ली

विषयः-सूचना अधिकार अधिनियम २००५, की धारा ६ के अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाओं का बिन्दुवार प्रस्तुत फार्मेट के अनुरूप ३० दिवसों के अन्दर निस्तारण किये जाने के संबंध में।

सूचना प्राप्ति हेतु विवरण

१. आवेदक का नामः डी०वी० अवस्थी

२ आवेदक का डाक पता : 655ख/2/061, अलकापुरी, कुर्सी रोड, लखनऊ-226022

३. मोबाइल नं० : 9935554957

४. उस अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिससे सूचनायें आपेक्षित हैः- सचिव महोदय, उपभोक्ता मामले की कार्यकारी शक्तियाँ जिन मंत्रालयों, विभागों एवं उनके संबद्ध-अधीनस्थ कार्यालयों व इकाईयों, संगठनों, संस्थानों, निकायों अथवा बोर्डों/परिषदों में समाहित है।

५. उस कर्मचारी का नाम, पद नाम एवं कार्यालय जिसके संबंध में सूचनायें अपेक्षित हैः- ……X……

६. उस सक्षम अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिसके द्वारा आवेदन के सभी बिन्दुओं पर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख द्वारा विधि एवं कार्यालय नियमानुकूल निर्णय न लिये जाने के कारण प्रशासनिक निर्णय लिया जाना है-……X……

७. निर्धारित शुल्क जमा करने का विवरण :- १० रू० का शुल्क दिनांक ..11.10.2013..... को लखनऊ डाकघर से पोस्टल आर्डर सं०.....17F 509271....... क्रय करके मूलरूप में संलग्न है।

८. सूचना प्राप्ति हेतु विषद विवरणः-
मांगी जाने वाली सूचनायें बिन्दु...6...से 11.1 बिन्दु तक इस पत्र के साथ संलग्न है जिसके कुल पृष्ठों की संख्या........ है।

९. सूचना प्राप्ति का माध्यम : स्पीड पोस्ट द्वारा

१०. विनम्र प्रार्थनाः- बिन्दु सं० ८ में प्रदान की जाने वाली सूचनाओं में प्रस्तुत कथनों एवं अंशों को बल/पुष्टि प्रदान करने वाले नियमों, आदेशों, शास्तियों, आधारों तथ्यों एवं अभिलेखों का उल्लेख करने की कृपा करें तथा बताये गये कारणों एवं उनके साक्ष्यों को भी प्रदान करने की कृपा करें ताकि दोनों पक्षों के धन व समय को नष्ट होने से बचाया जा सके।

११. संलग्नक विवरणः-

ए.मांगी जाने वाली सूचनाओं की सूची जिसकी कुल पृष्ठों की संख्या ......1.......... है;

बी.शुल्क के रूप में रसीद/पोस्टल आर्डर संख्या...17F 509271......संलग्न है।

सी.मांगी जाने वाली सूचनाओं की सूची से संबंधित प्रपत्रों की कुल सं०........................है।

सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम व मोहर.........................

आवेदन कर्त्ता

दिनांक 25.10.2013

(डी०वी०अवस्थी)

655ख/2/061, अलकापुरी
कुर्सी रोड, लखनऊ-226022

(12)

विषयः- विभागीय प्रचलित नियमों का सन्दर्भ लेते हुए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ३ में प्राप्त नागरिकों को सूचना के अधिकार के अधीन तथा धारा ६ की उपधारा (१) के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध।

महोदय,

- धारा २ की उपधारा (क) (प) (पप), (ख), के अधीन स्थापित, गठित स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित विभाग के मुख्यालय एवं उनके प्रभागों, शाखाओं व अनुभागों से संबंधित तथा विभाग के अधीन सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, समस्त इकाइयों से संबंधित तथा/या धारा २ (ज) में वर्णित प्राधिकारी या निकाय या स्वशासित संस्था द्वारा (जैसा हो) के संबंध में धारा २ की उपधारा (ग) (घ) (ड.) के (प) (पप) (पपप) (पअ) व (अ) में वर्णित सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा उपधारा (छ) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत तथा धारा २ की उपधारा (च) में परिभाषित एवं उपधारा (ञ) में पहुँच योग्य, नियंत्रणाधीन या धारित तथा लोकप्राधिकारी द्वारा धारा ४ (१) के अंतर्गत सम्यक रूप से सूचीपत्रित और अनुक्रमाणिका बद्ध तथा कम्प्यूटरी कृत रखे गये अभिलेखों/सूचना सामग्रियों से संबंधित वांछित सूचनाओं को उक्त धाराओं के अनुरुप या धारा ७ की उपधारा (६) के अनुरुप, जैसा भी उचित हो, के अनुरुप एवं धारा ४ (घ) के अन्तर्गत लिये गये विनिश्चियों के कारणों को उपलब्ध कराते हुए अधोलिखित वांछित सूचनाओं को धारा ७ की उपधारा १ से ६ तक के अन्तर्गत निस्तारित करने का कष्ट करें।
- मंत्रालय के सभी स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों व मंत्रालय के अधीन सभी विभागों के स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों तथा विभागों के सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनकी सभी इकाइयों में आर० टी० आई० अधिनियम-२००५ की मंशा के अनुसार अपने सभी अभिलेखों, प्रपत्रों रजिस्टरों, पत्रावलियों व अन्य यदि कोई हो को जिस रूप अथवा स्वरूप में अनुक्रमणिका-बद्ध व सूची-बद्ध करके रखा है, उसी के अनुसार अथवा सूचना आवेदन में वर्णित बिन्दुओं के अनुरूप, जैसा भी हो कारणों को दर्शाते हुए आवश्यक प्रमाणित प्रतियों के साथ समस्त सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि जिस प्रकार महोदय जी द्वारा, अपने प्रशासकीय कार्यों का संचालन किये जाने हेतु, विभिन्न विषयान्तर्गत अपने सभी कार्यालयों से सूचनाएं माँगते हैं एवम् सभी कार्यालय बिना टाल-मटोल के स्पष्टता के साथ आवश्यक प्रतियों को संलग्न करते हुए सूचनाएँ समयान्तर्गत उपलब्ध कराते हैं, उसी अन्दाज में आवेदन-कर्ता सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा रखता है।
- अत्यन्त विनम्रता पूर्वक दूसरा अनुरोध है कि टाल-मटोल करने वाले वाक्याँशों, अस्पष्ट एवम् भ्रामक सूचनाएँ दी जानी हो एवम् जिनके सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवम् केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग के मध्यस्थ बनने के उपरान्त ही लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना देना बाध्यकारी हो, अनुशासनिक कार्यवाही एवम् आर्थिक दण्ड की कार्यवाही की सम्भावना हो ऐसी सूचनाएँ न देने का कष्ट करें ताकि प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचना आयोग के समय को तथा पेड़ों को कटान से (अनावश्यक कागज का प्रयोग करने से) रोका जा सके व कार्यालयों एवम् मार्गों में भीड़ का कारण बनने मे सूचना आवेदन कर्ता सहयोगी न बनें।
- भारतीय ससंद (जनता ससंद) को धूमिल होने से बचाने हेतु जन-कल्याण के लिये प्राणों से भी प्यारी एवम् पवित्र ससंद द्वारा बनाये गये कानूनों का अक्षरशः अनुपालन करके ही उसकी एवम् लोक-तन्त्र की रक्षा सम्भव है।

अत्यंत विनम्रतापूर्वक एवं शालीनता के साथ आपकी प्रतिष्ठा में वांछित सूचना/शिकायतों के विवरण इस प्रकार है-

(13)

RTI Case
Do Not Delay

Format of letter for forwarding the Application Received to CPIO

Department of Posts, India
Office of the chief Postmaster Lucknow GPO -226001

(Full Postal address with contact details)

Ref: L/RTI Act/2005/Lucknow GPO/13-14 dated 23-10-13

To,

CPIO/ Appellate authority with contact numbers

Secy (CA)
उपभोक्ता मामले विभाग
प्राप्ति, दिनांक 28/10/13
अनुभाग डायरी संख्या 9141/RTI/13

Sub Forwarding of application under RTI Act 2005 section 6(3)(i)(ii)

Sir/Madam,

I am forwarding a letter No.................... dated...21.10.13....received from........Awasthi..for further necessary action. The payment of application Fees has been made in cash in the post office under receipt no....509271.... has been made through DD/Cheque which is enclosed herewith.

DATE 23-10-13
(RTI Oblong Stamps)

Signature

Copy to:-
Applicant

Address:-

information requested by you is likely To be available with the above addressee (CPIO) You may contact the above addressee directly for any information clarification.

(14)

पवित्र ग्रन्थ- भारतीय संविधान
पावन मन्दिर- भारतीय संसद
हमारे देव - भारतीय नागरिक
त्योहार -15 अगस्त, 26 जनवरी

भारतीय जनजागरण सूचना अधिकार
डी वी
लोक शिकायत निवारण
असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय

कार्यकरण में पारदर्शिता
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
उत्तरदायित्व का संवर्धन
व्यवहारिक शासन पद्धति

(DRT)

सूचना अधिकार अधिनियम २००५, के अन्तर्गत सूचना आवेदन

पार्ट-3

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

कार्या० सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली

विषयः-सूचना अधिकार अधिनियम २००५, की धारा ६ के अन्तर्गत आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाओं का बिन्दुवार प्रस्तुत फार्मेट के अनुरूप ३० दिवसों के अन्दर निस्तारण किये जाने के संबंध में।

सूचना प्राप्ति हेतु विवरण

१. आवेदक का नामः डी०वी० अवस्थी
२. आवेदक का डाक पता : 655 ग/2/061, अलकापुरी, कुर्सी रोड, लखनऊ-226022
३. मोबाइल नं० : 9935554957
४. उस अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिससे सूचनायें आपेक्षित है:- सचिव महोदय उपभोक्ता मामले की कार्यकारी शक्तियों जिन मंत्रालयों, विभागों एवं उनके संबद्ध-अधीनस्थ कार्यालयों व इकाईयो, संगठनों, संस्थानों, निकायों अथवा बोर्डों/परिषदों में समाहित है ।
५. उस कर्मचारी का नाम, पद नाम एवं कार्यालय जिसके संबंध में सूचनायें अपेक्षित हैं:- ....×..........
६. उस सक्षम अधिकारी का पद नाम एवं कार्यालय जिसके द्वारा आवेदन के सभी बिन्दुओं पर सम्बन्धित कार्यालय प्रमुख द्वारा विधि एवं कार्यालय नियमानुकूल निर्णय न लिये जाने के कारण प्रशासनिक निर्णय लिया जाना है ....×..........................
७. निर्धारित शुल्क जमा करने का विवरण :- १० रू० का शुल्क दिनांक ....11.10.2013.... को.. महानगर डाकघर से पोस्टल आडर सं०....17 F - 509272.................... क्रय कर के मूलरूप में संलग्न है।
८. सूचना प्राप्ति हेतु विषय विवरणः-
मांगी जाने वाली सूचनायें बिन्दु..1.2 से 17.2 बिन्दु तक इस पत्र के साथ संलग्न है जिसके कुल पृष्ठों की संख्या........ है।
९. सूचना प्राप्ति का माध्यम स्पीड पोस्ट द्वारा
१०. विनम्र प्रार्थनाः- बिन्दु सं० ८ में प्रदान की जाने वाली सूचनाओं में प्रस्तुत कथनों एवं आदेशों के ... प्रदान करने वाले नियमों, आदेशों, शास्तियों, आधारो तथ्यों एवं अभिलेखों का उल्लेख करने की कृपा करें ... बताये गये कारणों एवं उनके साक्ष्यों को भी प्रदान करने की कृपा करें ताकि दोनों पक्षों के धन व समय को नष्ट होने से बचाया जा सके।
११. संलग्नक विवरणः-

ए. मांगी जाने वाली सूचनाओं की सूची जिसकी कुल पृष्ठों की संख्या ......2......... है।
बी. शुल्क के रूप में रसीद/पोस्टल आर्डर संख्या. 17.F 509272 ...संलग्न है।
सी. मांगी जाने वाली सूचनाओ की सूची से संबंधित प्रपत्रों की कुल सं०.......................है।
सूचना प्रार्थना पत्र प्राप्त करने वाले अधिकारी का पद नाम व मोहर........................

दिनांकः- 21.10.2013

आवेदन कर्ता
डी०वी० अवस्थी
655 ग/2/061, अलकापुरी
कुर्सी रोड, लखनऊ-226022

- पवित्र ग्रन्थ- भारतीय संविधान
- पावन मन्दिर- भारतीय संसद
- हमारे देव – भारतीय नागरिक
- त्योहार –15 अगस्त, 26 जनवरी

भारतीय जनजागरण
सूचना अधिकार
लोक शिकायत निवारण

- कार्यकरण में पारदर्शिता
- भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
- उत्तरदायित्व का संवर्धन
- व्यावहारिक शासन पद्धति

विषयः- विभागीय प्रचलित नियमों का सन्दर्भ लेते हुए सूचना अधिकार अधिनियम की धारा ३ में प्राप्त नागरिकों को सूचना के अधिकार के अधीन तथा धारा ६ की उपधारा (१) के अंतर्गत सूचना अभिप्राप्त करने हेतु अनुरोध।

महोदय,

- धारा २ की उपधारा (क) (प) (पप), (ख), के अधीन स्थापित, गठित स्वामित्वाधीन, नियंत्रणाधीन या प्रत्यक्ष रुप से या अप्रत्यक्ष रुप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा पूर्णतया वित्तपोषित विभाग के मुख्यालय एवं उनके प्रभागों, शाखाओं व अनुभागों से संबंधित तथा विभाग के अधीन सभी संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों, समस्त इकाइयों से संबंधित तथा/या धारा २ (ज) में वर्णित प्राधिकारी या निकाय या स्वशासित संस्था द्वारा (जैसा हो) के संबंध में धारा २ की उपधारा (ग) (घ) (ड.) के (प) (पप) (पपप) (पअ) व (अ) में वर्णित सक्षम प्राधिकारी/ अधिकारी द्वारा उपधारा (छ) के अंतर्गत अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अंतर्गत तथा धारा २ की उपधारा (च) में परिभाषित एवं उपधारा (ञ) में पहुँच योग्य, नियंत्रणाधीन या धारित तथा लोकप्राधिकारी द्वारा धारा ४ (१) के अंतर्गत सम्यक रूप से सूची पत्रित और अनुक्रमणिका बद्ध तथा कम्प्यूटरी कृत रखे गये अभिलेखों/सूचना सामग्रियों से संबंधित वांछित सूचनाओं को उक्त धाराओं के अनुरुप या धारा ७ की उपधारा (९) के अनुरुप, जैसा भी उचित हो, के अनुरुप एवं धारा ४ (घ) के अन्तर्गत लिये गये विनिश्चियों के कारणों को उपलब्ध कराते हुए अथोलिखित वांछित सूचनाओं को धारा ७ की उपधारा १ से ६ तक के अन्तर्गत निस्तारित करने का कष्ट करें।
- मंत्रालय के सभी स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों व मंत्रालय के अधीन सभी विभागों के स्कन्धों, प्रभागों, शाखाओं एवम् अनुभागों तथा विभागों के सभी सम्बद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा उनकी सभी इकाइयों में आर० टी० आई० अधिनियम-२००५ की मंशा के अनुसार अपने सभी अभिलेखों, प्रपत्रों रजिस्टरों, पत्रावलियों व अन्य यदि कोई हो को जिस रूप अथवा [illegible] में अनुक्रमणिका-बद्ध व सूची-बद्ध करके रखा है, उसी के अनुसार अथवा सूचना आवेदन में वर्णित बिन्दुओ के अनुरूप, [illegible] भी हो कारणों को दर्शाते हुए आवश्यक प्रमाणित प्रतियों के साथ समस्त सूचनाओं को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
- अत्यन्त विनम्रतापूर्वक अनुरोध है कि जिस प्रकार महोदय जी द्वारा, अपने प्रशासकीय कार्यों का संचालन किये जाने हेतु, विभिन्न विषयान्तर्गत अपने सभी कार्यालयों से सूचनाएँ माँगते हैं एवम् सभी कार्यालय बिना टाल-मटोल के स्पष्टता के साथ आवश्यक प्रतियों को संलग्न करते हुए सूचनाएँ समयान्तर्गत उपलब्ध कराते है, उसी अन्दाज में आवेदन-कर्ता सूचना उपलब्ध कराये जाने की अपेक्षा रखता है।
- अत्यन्त विनम्रता पूर्वक दूसरा अनुरोध है कि टाल-मटोल करने वाले वाक्याँशों, अस्पष्ट एवम् भ्रामक सूचनाएँ दी जानी हो एवम् जिनके सम्बन्ध में प्रथम अपीलीय प्राधिकारी एवम् केन्द्रीय/राज्य सूचना आयोग के मध्यस्थ बनने के उपरान्त ही लोक सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना देना बाध्यकारी हो, अनुशासनिक कार्यवाही एवम् आर्थिक दण्ड की कार्यवाही की सम्भावना हो ऐसी सूचनाएँ न देने का कष्ट करें ताकि प्रथम अपीलीय अधिकारी, सूचना आयोग के समय को तथा पेड़ों को कटान से (अनावश्यक कागज का प्रयोग करने से) रोका जा सके व कार्यालयों एवम् मार्गों में भीड़ का कारण बनने मे सूचना आवेदन कर्ता सहयोगी न बनें।
- भारतीय ससंद (जनता ससंद) को धूमिल होने से बचाने हेतु जन-कल्याण के लिये प्राणों से भी प्यारी एवम् पवित्र [illegible] बनाये गये कानूनों का अक्षरशः अनुपालन करके ही उसकी एवम् लोक-तन्त्र की रक्षा सम्भव है।

अत्यंत विनम्रतापूर्वक एवं शालीनता के साथ आपकी प्रतिष्ठा में वांछित सूचना/शिकायतों के विवरण इस प्रकार है-

16

RTI Case
Do Not Delay

Format of letter for forwarding the Application Received to CPIO

JS (CA)/ 5592/Secy
Dt. 29.10.13

Department of Posts, India
Office of the chief Postmaster Lucknow GPO -226001

Secy (CA)
Dy. N 5592
Date 28/10

(Full Postal address with contact details)

Ref: L/RTI Act/2005/Lucknow GPO/13-14 dated 23-10-13

Secy (CA)
उपभोक्ता मामले विभाग
प्राप्ति दिनांक 28/10/13
रसी.आर.संख्या
अनुभाग डायरी संख्या 914/RTI/17

To,

CPIO/ ~~Appellate authority~~ with contact numbers

D/Dir (Vig)/2013
29/10/13

Sub Forwarding of application under RTI Act 2005 section 6(3)(i)(ii)

Sir/Madam,

I am forwarding a letter No......./.........dated....22-10-13....received from.....D.V. Awasthi...for further necessary action. The payment of application Fees has been made in cash in the post office under receipt no...... has been made through DD/Cheque which is enclosed herewith.

DATE
(RTI Oblong Stamps)

Signature
CAPIO
o/o Chief Post Master
Lucknow GPO 226001

Copy to:- D.V. Awasthi
Applicant

Address:-

information requested by you is likely To be available with the above addressee (CPIO) You may contact the above addressee directly for any information clarification.

विषय- सूचना अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा-6 के अन्तर्गत विभागीय ढाँचे एवं उसकी कार्यप्रणाली के संबंध में वांछित सूचनाएँ आवश्यक प्रमाणित प्रतियों के साथ उपलब्ध कराये जाने के संबंध में ।

महोदय,

आपके विभाग के मुख्यालय के सभी अनुभागों एवं उनके सभी सबंद्ध अधीनस्थ कार्यालयों तथा सभी कार्य इकाईयों ने अपने सभी अभिलेखों एवं प्रपत्रों आदि को जिस रूप या स्वरूप में रखा हो या सूचना आवेदन में वांछित सूचनाओं के सभी बिन्दुओं के अनुरूप, जैसा भी हो, सभी आवश्यक प्रमाणित प्रतियों के साथ स्पष्टत: के साथ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

सादर वांछित सूचनाओं के विवरण इस प्रकार है-

1. संगठन की विशिष्टयाँ, कृत्य एवं कर्तव्य के संबंध में-

1.1 लोक प्राधिकरण के उद्देश्य (आब्जेक्टिव/परपज) एवं नाम;

1.2 लोक प्राधिकरण का मिशन/ विजन;

1.3 लोक प्राधिकरण का संक्षिप्त इतिहास और इसके गठन का प्रसंग;

1.4 लोक प्राधिकरण के कर्तव्य;

5 लोक प्राधिकरण के मुख्य कृत्य;

1.6 लोक प्राधिकरण द्वारा प्रदत्त सेवाओं की सूची एवं उनका संक्षिप्त विवरण;

1.7 लोक प्राधिकरण के विभिन्न स्तरों (शासन, निदेशालय, क्षेत्र, जिला, ब्लाक आदि) पर संगठनात्मक ढाँचा (जहाँ लागू हो);

1.8 लोक प्राधिकरण की कार्यदक्षता बढाने हेतु जन सहयोग की अपेक्षाएँ;

1.9 जन सहयोग सुनिश्चित करने के लिये विधि/व्यवस्था (अरेंजमेंट एण्ड मेथड्स);

1.10 जन सेवाओं के अनुश्रवण एवं शिकायतों के निराकरण की व्यवस्था;

1.11 मुख्य कार्यालय तथा विभिन्न स्तरों पर कार्यालयों एवं उनकी सभी कार्य इकाईयों के पते (कृपया पतों का जनपदवार या जैसा भी हो, वर्गीकरण करें);

1.12 कार्यालय/मुख्यालय/इकाईयों के खुलने व बन्द होने का समय तथा साप्ताहिक अवकाश।
जिस रूप स्वरूप में उपलब्ध हो, प्रमाणित प्रतियों के साथ उपलब्ध कराने की कृपा करें।

2. अधिकारियों और कर्मचारियों की शक्तियाँ एवं कर्तव्य-

2.1 ए- शक्तियाँ- (अ) प्रशासकीय (आ) वित्तीय (इ) अन्य

2.1 बी- कर्तव्य

2.1 सी- दायित्व

2.1 डी- उत्तरदायित्व

2.1 इ- कृत्य

3. लोक प्राधिकरण अथवा उसके अधिकारियों एवं कर्मियों द्वारा अपने कृत्यों के निर्वाहन के लिये धारित तथा प्रयोग किये जाने वाले नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेख की सूची के संबंध में-

3.1ए- अधिकारियों के पदानुसार- (i) अभिलेखों के नाम, (ii) अभिलेखों के प्रकार, (iii) अभिलेखों का संक्षिप्त परिचय

3.1बी- अधिकारियों के पदानुसार प्रयुक्त किये जाने वाले-
(i) नियमों, (ii) विनियमों, (iii) अनुदेशों के नाम

3.1 सी- कर्मियों के पदानुसार, प्रयुक्त किये जाने वाले-
(i) अभिलेखों के नाम, (ii) अभिलेखों के प्रकार, (iii) अभिलेखों का संक्षिप्त परिचय

3.1डी- कर्मियों के पदानुसार एवं उन्हें किये गये कार्य बटंवारे के अनुसार-

(i) नियमों, (ii) विनियमों, (iii) अनुदेशों के नाम

3.1 इ- नियम, विनियम, अनुदेश, निर्देशिका और अभिलेखों की प्रति कहाँ से प्राप्त कर सकते है-

उसका नाम, पता, दूरभाष, फेक्स, ई.मेल. व वेब साइट तथा उनकी प्रतियों का मूल्य (यदि कोई हो)

4. नीति निर्धारण व कार्यान्वयन के संबंध में जनता या प्रतिनिधियों से परामर्श के लिये बनायी गयी व्यवस्था का विवरण-

4.1 अ- नीति निर्धारण हेतु-

(i) क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति निर्धारण के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि की परामर्श/भागीदारी का कोई प्राविधान है?

यदि है तो-

(अ) क्र.स. (आ) विषय/कृत्य का नाम (इ) क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नही)

(ई) जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए की गई व्यवस्था

4.1 आ- नीति के कार्यान्वयन हेतु-

(i) क्या लोक प्राधिकरण द्वारा नीति के कार्यान्वयन के संबंध में जनता या जनप्रतिनिधि से/ की परामर्श/ भागीदारी का कोई प्राविधान है? यदि है तो-

(अ) क्र.स. (आ) विषय/कृत्य का नाम, (इ) क्या इस विषय में जनता की भागीदारी अनिवार्य है? (हाँ/नही) (ई) जनता की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिये की गई व्यवस्था

5. लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों का प्रवर्गो (केटेगोरीज) के अनुसार विवरण-

5.1 लोक प्राधिकरण के पास उपलब्ध शासकीय दस्तावेजों की जानकारी निम्न बिंदुओं के अनुसार उपलब्ध कराये तथा साथ ही साथ यह भी बताएँ की यह दस्तावेज कहाँ उपलब्ध रहते है जैसे की सचिव स्तर पर, अधीनस्थ कार्यालयों (उनके नाम सहित) के स्तर पर तथा उनकी सभी कार्य इकाईयों (उनके नाम सहित) के स्तर पर एवं अन्य स्तर पर (अ) क्र0सं0 (आ) प्रवर्गों के नाम (इ) सभी दस्तावेजों के नाम एवं उनका एक पंक्ति में परिचय (ई) दस्तावेज प्राप्त करने के लिये प्रक्रिया (उ) धारक/ नियंत्रणाधीन

6.1 कृपया लोकप्राधिकरण से संबद्ध बोर्ड, परिषदों, समितियों एवं निकायों का संक्षिप्त विवरण-निम्न बिदुंओं के अनुसार आधार पर दें:-

(अ) संबंद्ध संस्था का नाम व पता:

(आ) संबद्ध संस्था का प्रकार (बोर्ड, परिषद, समिति, निकाय या अन्य)

(इ) संबद्ध संस्था का संक्षिप्त परिचय (स्थापना वर्ष, उद्देश्य/मुख्य कृत्य)

(ई) संबद्ध संस्था की भूमिका (परामर्शदात्री/प्रबंधकारिणी/कार्यकारिणी/अन्य)'

(उ) स्वरूप एव वर्तमान सदस्य ;

(ऊ) मुख्य अधिकारी का नाम ;

(ऐ) बैठक की आवृत्ति;

(ओ) क्या बैठक में जनता भाग ले सकती है? यदि हाँ तो तरीका;

(औ) क्या बैठक के कार्यवृत (मिनट्स) तैयार किये जाते है? यदि हाँ तो तरीका/प्रारूप);

(अं) क्या जनता बैठक का कार्यवृत प्राप्त कर सकती है? यदि हाँ, तो प्रक्रिया का विवरण दे।

7. लोकप्राधिकरण में (सभी एककों सहित) कार्यरत लोक सूचना अधिकारियों, सहायक लोक सूचना अधिकारियों तथा विभागीय अपीलेट अथारिटी के संबंध में सूचनाएँ-

7.1 (अ) क्र.स. (आ) लोक प्राधिकरण व उसके सभी कार्यालयों/एककों के नाम (इ) सहायक लोक सूचना अधिकारी के नाम (ई) पदनाम (उ) एस.टी.डी कोड, (ऊ) दूरभाष (कार्यालय एवं आवास) (ए) फैक्स, (ऐ) ई.मेल, (ओ) वेब साइट (अं) पता

8. निर्णय लेने की प्रक्रिया-

8.1 किसी विषय पर निर्णय लेने के लिये लोक प्राधिकरण में क्या प्रक्रिया अपनायी जाती है? (सचिवालय मैनुवल और बिजिनेस मैनुवल क नियमों का उपयोग किया जा सकता है?

8.2 किसी विशेष विषय पर निर्णय लेने के लिये निर्धारित नियम एवं प्रक्रिया क्या है? अथवा निर्णय लेने के लिये किस-किस स्तरों पर विचार किया जाता है?

8.3 लिये गये निर्णय को जनता तक पहुँचाने की क्या व्यवस्था है?

8.4 विभिन्न स्तर पर किन अधिकारियों की संस्तुति निर्णय लेने के लिये प्राप्त की जाती है?

8.5 अंतिम निर्णय लेने के लिये प्राधिकारित अधिकारी

8.6 मुख्य विषय जिस पर लोक प्राधिकरण द्वारा निर्णय लिया जाता है उसके विवरण को निम्न बिदुंओ के अनुसार प्रस्तुत करें।

(अ) क्र.स. (आ) विषय (जिसके संबंध में निर्णय लिया जाता है/लिया जाना होता है।) (इ) दिशा-निर्देश, (ई) निर्णय लेने की प्रक्रिया, (उ) निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों के पद नाम, (ऊ) निर्णय लेने में शामिल अधिकारियों के सम्पर्क सूत्र, (ए) निर्णय के विरूद्ध कहाँ और कैसे अपील करें।

9. अधिकारियों एवं कर्मचारियों की निर्देशिका

9.1 क्र.स. (आ) लोक प्राधिकरण के मुख्यालय, संबद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यालयों, उनकी सभी कार्य इकाईयों एवं अन्य के नाम व पते, (इ) उनके अधिकारियों व अधीनस्थ कर्मियों के नाम व पद नाम, (ई) एस.टी.डी. कोड (उ) दूरभाष (कार्यालय एवं आवास) (ऊ) फैक्स (ए) ई.मेल (ऐ) पते

10. प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी द्वारा प्राप्त मासिक पारिश्रमिक और उसके निर्धारण की पद्धति-

10.1 (अ) क्र.स. , (आ) लाक प्राधिकरण के मुख्यालय, संबंद्ध कार्यालयों, अधीनस्थ कार्यलयों, उनकी सभी कार्यइकाईयों एवं शेष अन्य के नाम व पते, (इ)उनके अधिकारियों व अधीनस्थ कर्मियो के नाम व पद नाम (ई) मासिक पारिश्रमिक (उ) पारितोषिक/सभी भत्ते, (ऊ) पारिश्रमिक के निर्धारण की पद्धति (जो नियमावली में दी गई हो)

11. प्रत्येक अभिकरण (एजेंसी) को आवंटित बजट (सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना)

11.1 लोक प्राधिकरण के प्रत्येक अभिकरण को आवंटित बजट की सूचना, जिसमें कि सभी योजनाओं, व्यय प्रस्तावों तथा धन वितरण की सूचना निम्न बिंदुओं पर उपलब्ध कराये- (निर्माण, विकास, तकनीकी)

(अ) क्र.स. (आ) सभी अभिकरणों के नाम, (इ) उनकी सभी योजनाओं के नाम, (ई) कार्य का नाम (उ) कार्य प्रारम्भ होनेकी दिनांक, (ऊ) कार्य के समापन की अनुमानित दिनांक, (ए) प्रस्तावित बजट, (ऐ) स्वीकृत बजट, (ओ) शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि (किश्तों में), (औ) कुल व्यय (अं) कार्य की गुणवत्ता एवं समापन करवाने के लिये जिम्मेदार अधिकारी/प्राधिकारी)

11.2 लोक प्राधिकरण के मुख्यालय, संबद्ध व अधीनस्थ कार्यालयों व उनकी अन्य कार्य इकाइयों मेंआवंटित बजट की सूचना, जिसमें सभी प्रकार के कार्यों हेतु बजट आवंटित किया जाता है-

(अ) क्र.स. (आ) महानिदेशालय के सभी अनुभागों के नाम, संबद्ध कार्यालयों के नाम, अधीनस्थ कार्यालयों के नाम व उनकी सभी कार्य इकाईयों के नाम (इ) उन्हें बजट किन-किन कार्यों को निष्पादित किये जाने हेतु प्रत्येक वर्ष/समय-2 पर उपलब्ध कराया जाता है उन कार्यों / मदों के नाम (ई) प्रस्तावित बजट, (उ) स्वीकृत बजट, (ऊ) शासन द्वारा प्रदत्त धनराशि (किश्तों में), (ए) कुल व्यय, (ऐ) बजट एवं

व्ययों पर निगरानी करने वाले (अपने-अपने कार्यक्षेत्रों के अधीन) अधिकारियों के नाम व पद (ए) बजट एवं व्ययों पर अपने कार्य क्षेत्रों के अनुसार नियमों में वर्णित/निर्धारित निगरानी करने की प्रक्रिया।

12. अनुदान/राजसहायता कार्यक्रम के क्रियान्वयन की रीति–

12.1 (अ) कार्यक्रम/योजना का नाम;

(आ) कार्यक्रम/योजना के प्रभावी रहने की समय सीमा;

(इ) कार्यक्रम का उद्देश्य;

(ई) कार्यक्रम के भौतिक एवं वाणिज्यिक लक्ष्य (विगत वर्ष में);

(उ) लाभार्थी की पात्रता;

(ऊ) पूर्वापेक्षाए;

(ए) अनुदान/सहायता प्राप्त करने की एवं कराने की प्रक्रिया;

(ऐ) पात्रता निश्चित करने के लिये मानदण्ड;

(ओ) दिये जाने वाले अनुदान/सहायता का विवरण (जिसमें अनुदान की राशि का विवरण हो);

(अं) अनुदान/सहायता के वितरण की प्रक्रिया;

(अः) आवेदन करने के लिए कहाँ एवं किससे सम्पर्क करें;

(क) आवेदन शुल्क (जहाँ उचित हो);

(ख) आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि आवेदन सादे कागज पर होता है तो कृपया उसका उल्लेख करते हुए यह बतायें कि आवेदन कर्ता आवेदन करते समय किन बातों का वर्णन करें);

(ग) संलग्नकों की सूची;

(घ) संलग्नकों का प्रारूप;

(ङ) प्रक्रिया में संबंधित समस्या होने पर कहाँ संपर्क करें;

(च) उपलब्ध धनराशि का विवरण (विभिन्न स्तरों पर जैसे कि ब्लाक स्तर पर, जिला स्तर पर इत्यादि);

(छ) लाभार्थियों की सूची इस प्रकार उपलब्ध कराएँ–

(i) विभागँ/कार्यालय द्वारा प्रदत्त क्रमांक, (ii) लाभार्थी का नाम, (iii) अनुदान की राशि, (iv) वल्दियत, (v) पात्रता का आधार, (vi) निवास का पूरा पता7 म.नं.- मोहल्ला, स्ट्रीट/रोड, शहर, तहसील, पोस्ट थाना तथा जिला एवं पिन कोड।

13. रियायतों, अनुज्ञापत्रों तथा प्राधिकारों के प्राप्ति कर्ताओं के संबंध में विवरण–

13.1 (अ) कार्यक्रम का नाम;

(आ) प्रकार (रियायत, अनुज्ञा पत्र अथवा प्राधिकार **(Authorization)** में क्रमवार चुने);

(इ) उद्देश्य;

(ई) लक्ष्य (विगत वर्ष में);

(उ) पात्रता;

(ऊ) पात्रता का आधार;

(ए) पूर्वापेक्षाएँ;

(ऐ) प्राप्त करने की प्रक्रिया;

(ओ) रियायत, अनुज्ञापत्र अथवा प्राधिकार दिये जाने के लिए निर्धारित समय-सीमा;

(औ) आवेदन शुल्क;

(अं) आवेदन शुल्क;

(अः) आवेदन पत्र का प्रारूप (यदि सादे कागज पर दिया जाना हो तो आवेदन कर्ता कौन-कौन से विवरण उपलब्ध कराये);

(क) संलग्नकों की सूची

(ख) संलग्नकों का प्रारूप

(ग) प्राप्त कर्ताओं की सूची इस प्रकार उपलब्ध कराएँ -

(i) विभाग द्वारा प्रदत्त क्रमाक, (ii) प्राप्त कर्ता का नाम (iii) वैधता किस दिनांक तक है, (iv) वल्दियत, (v) निवास का पता- म.नं., मोहल्ला, स्ट्रीट/रोड, तहसील, थाना, पोस्ट जिला एवं पिनकोड

14. कृत्यों के निर्वहन के लिये स्थापित मानक/मानदंड/नियम-

14.1 लोक प्राधिकरण द्वारा अपने मुख्यालय, संबंद्ध एवं अधीनस्थ तथा उनकी सभी कार्यइकाईवार अपने विभिन्न क्रिया-कलापों/कार्यक्रमों के संपादन हेतु प्रयोग किये जाने वाले-

(अ) मानक, (आ) नियमों का कार्यक्रमवार विवरण उपलब्ध करायें।

15. इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्ध सूचनायें-

15.1. लोक प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कार्यक्रमों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराये जो कि इलेक्ट्रानिक फार्मेट में हो/रूप में हो।

16. सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिकों को उपलब्ध सुविधाओं का विवरण-

16.1 सूचनाओं को जनता तक पहुंचाने के लिये विभाग/संगठन द्वारा की गयी व्यवस्था का विवरण इस प्रकार उपलब्ध कराये-

(अ) पुस्तकालय

(आ) नाटक/नुक्कड़

(इ) अखबारों के द्वारा

(ई) प्रदर्शनी

(उ) सूचना पटल

(ऊ) अभिलेखों का निरीक्षण

(ए) दस्तावेजो की प्रति प्राप्त करने की व्यवस्था

(ऐ) उपलब्ध विभागीय मैनुवल

(ओ) लोकप्राधिकरण की वेब साइट

(औ) अन्य प्रकार के/ प्रचार-प्रसार के साधन

17. अन्य उपयोगी जानकारियाँ-

17.1 लोक प्राधिकरण से जन मानस द्वारा सामान्यतः पूछे जाने वाले प्रश्न व उनके उत्तर प्रकट करें।

17.2 सूचना प्राप्त करने के संबंध में।

आवेदनकर्ता

(डी०वी० अवस्थी)

पता- 655/ग/शोभा, अलकापुरी
कुर्सी रोड, लखनऊ-226022

दिनांक- 21.10.13
21.10.13

पवित्र ग्रन्थ- भारतीय संविधान
पावन मन्दिर- भारतीय संसद
हमारे देव - भारतीय नागरिक
त्योहार -15 अगस्त, 26 जनवरी

भारतीय जनजागरण
सूचना अधिकार
लोक शिकायत निवारण

कार्यकरण में पारदर्शिता
भ्रष्टाचार मुक्त प्रशासन
उत्तरदायित्व का संवर्धन
व्यवहारिक शासन पद्धति

श्रमिकों की सेवा शर्ते

1.सरकारी सेवक एवं सरकारी कर्मचारी की क्या परिभाषा है?

2.भारत सरकार के विभागों, कार्यालयों एवं उनकी इकाइयों की पहचान किस प्रकार की जायेगी कि वह भारत सरकार के है अथवा किसी अन्य किसी संगठन के?

3.भारत सरकार की अधिसूचनाओं/नियमों में मंत्रालयों, विभागों, कार्यालयों अथवा अन्य विविध इकाईयों की क्या परिभाषा हैं?

4.विभागाध्यक्ष, कार्यालयाध्यक्ष एवं अन्य विविध इकाईयों के अध्यक्ष तथा विभाग के सचिव, मंत्रालय के सचिव, केन्द्रीय सचिवालय के सम्बन्ध में मंत्रिमण्डल (कैबिनेट) सचिव, प्रधान मंत्री के सविचालय के सचिव, राष्ट्रपति सचिवालय के सचिव, योजना आयोग तथा अन्य विविध आयोगों के सचिव की परिभाषा प्रकट करने की कृपा करें।

5.अनुशासनिक प्राधिकारी एवं नियुक्ति प्राधिकारी की क्या परिभाषा है?

6.कैजुवल नियोजन की क्या परिभाषा है।

7.नियमित, स्थाई, अस्थाई, संविदा के अनतर्गत कर्मचारी की क्या परिभाषा है? तथा एक कर्मकार (वर्कमैन) की तथा श्रमिक की क्या परिभाषा है?

8.आकस्मिक निधि से मासिक दर पर भुगतान पाने वाले कर्मचारी की क्या परिभाषा है? तथा आकस्मिक निधि से दैनिक दर पर भुगतान पाने वाले कर्मचारी की क्या परिभाषा है?

9.दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक आदि दर पर भुगतान पाने वाले दैनिक श्रमिक की क्या परिभाषा है?

10.संविदा पर रखे गये कर्मचारियों, आकस्मिक निधि से मासिक तथा दैनिक दर पर भुगतान पाने वाले कर्मचारियों तथा दैनिक साप्ताहिक एवं मासिक आदि दर पर भुगतान पाने वाले श्रमिकों की क्या सेवा शर्ते होती है? तथा उनकी सेवाओं के लिये कौन सी मार्ग दर्शिकायें बनायी गई है?

11. [illegible], NCCF नई दिल्ली ......कार्यालय में – [illegible]

1.ए.नियमित पदों , बी. अस्थाई, सी. स्थाई पदों की संख्या प्रकट करने की कृपा करें। [illegible] - 2 सम्मिलित हैं

2. आकस्मिक निधि से भुगतान पाने वाले सभी श्रेणी के कर्मियों की संख्या प्रकट करने की कृपा करें।

3. संविदा पर सभी श्रेणी के कार्य करने वाले कर्मियों के पदों को प्रकट करते हुए उनकी पदानुसार संख्या प्रकट करने की कृपा करें।

4. अनुभाग वार कार्य पदों को प्रकट करते हुए कार्यरत उक्त बिन्दुओं के अनुरूप प्रथम, द्वितीय श्रेणी एवं तृतीय तथा चतुर्थ श्रेणी के कर्मियों की संख्या प्रकट करने की कृपा करें।

5.एक्सट्रा डिपार्टमेंट एजेन्ट की सेवा शर्ते, उनके आचरण एवं अनुशासनिक नियम जिनसे वे गवर्न होने है उनके नामों तथा उनका नियुक्ति एवं अनुशासनिक अधिकारी किस पद नाम वाला होता है।

6.नियमित पद पर कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर आकस्मिक निधि (कान्टेन्जेन्सी) से मासिक दर पर भुगतान पाने वाले कर्मचारियों के नियुक्ति कार्य संबंधी सवेा शर्ते तथा नियुक्ति की प्रक्रिया, उन पर लागू होने वाले अनुशासनिक नियमावलियों तथा आचरण नियमावलियों को प्रकट करने की कृपा करें तथा किस पद नाम वाले को सक्षम नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी बनाया गया है?

7.नियमित पद पर कार्यरत कर्मचारियों को छोड़कर मासिक दर पर कार्यरत कार्य हेतुक (वर्कचार्ज) कर्मचारियों के नियुक्ति एवं कार्य संबंधी सेवा शर्ते तथा नियुक्ति की प्रक्रिया, उन पर लागू होने वाले अनुशासनिक एवं आचरण सम्बन्धी नियमों को प्रकट करने की कृपा करें तथा किस पद नाम वाले को सक्षम नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी बनाया गया है?

8.आकस्मिक निधि से दैनिक दर पर भुगतान पाने वाले कर्मचारियों के नियुक्ति एवं कार्य सम्बन्धी सेवा शर्ते तथा नियुक्ति की प्रक्रिया, उन पर लागू होने वाले अनुशासनिक एवं आचरण सम्बन्धी नियमों को प्रकट करने की कृपा करें तथा किस पद नाम वाले को सक्षम नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी बनाया गया है?

9.दैनिक, साप्ताहिक तथा मासिक आदि दर पर भुगतान पाने वाले कर्मचारियों के नियुक्ति एवं कार्य संबंधी सेवा शर्ते तथा नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उन पर लागू होने वाले अनुशासनिक एवं आचरण सम्बन्धी नियमों को प्रकट करने की कृपा करे तथा किस पद नाम वाले को सक्षम नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी बनाया गया है?

10.ग्रीष्म कालीन एवं वर्षा कालीन आवश्यकता वाले कर्मचारियों के नियुक्ति एवं कार्य संबंधी सेवा शर्ते तथा नियुक्ति की प्रक्रिया तथा उन पर लागू होने वाले अनुशासनिक एवं आचरण सम्बन्धी नियमों को प्रकट करने की कृपा करे तथा किस पद नाम वाले को सक्षम नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी बनाया गया है?

11.परवीक्षा काल तक कार्य पदानुसार कार्य करने वाले तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के नियमित कर्मचारियों के नियुक्ति एवं कार्य सम्बन्धी सेवा शर्ते तथा नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उन पर लागू होने वाले अनुशासनिक एवं आचरण सम्बन्धी नियमों को प्रकट करने की कृपा करें तथा किस पद नाम वाले को उनका सक्षम नियुक्ति एवं अनुशासनिक प्राधिकारी बनाया गया है?

12.परवीक्षा काल के उपरान्त स्थाई पदो पर स्थाईकरण करने के उपरान्त कार्यपढानुसार कार्य करने वाले तृतीया एवं चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के नियुक्ति एवं कार्य सम्बन्धी सेवा शर्ते तथा नियुक्ति की प्रक्रिया एवं उन पर लागू होने वाले अनुशासनिक एवं आचरण सम्बन्धी नियमों को प्रकट करने की कृपा करें तथा किस पद नाम वाले को उनका सक्षम नियुक्ति एवं अनुशासनिक एवं प्राधिकारी बनाया गया है?

13.उक्त बिन्दु 1 से 12 तक के कर्मियों को उनसे उनकी कार्यसीट के अनुसार सौपें गये कार्य के अनुकूल प्रदान की जाने वाली सुविधाओं (बैठने का स्थान, मेजकुर्सी, बन्द एवं खुली अलमीरा एवं रैक्स, सभी प्रकार की लेखन सामग्री, वायु, प्रकाश आदि) को तथा आवंटित कार्य के सम्बन्ध में प्रयुक्त होने वाले नियमों/अधिनियमों, आदेशों अनुदेशों, शासनादेशों एवं मार्गदर्शी सिद्धान्तों के नामों को प्रत्येक कार्य सीट के अनुसार अनुभागवार प्रकट करने की कृपा करें।

14.उन कर्मियों एवं उनके परिवार (माँ–पिता–पुत्र–पुत्रियों एवं भाई बहनों) को सेवाकाल के दौरान एवं सेवानियुत्ति पर दी जाने वाली शिक्षकीय एवं चिकित्सीय खेलकूद आदि अन्य कल्याण कारी सुविधाओं के नामों उन्हें प्राप्त कराये जाने की शर्ते एवं नियमावलियों के नामों को तथा मार्गदर्शिकाओं को प्रकट करने की कृपा करें।

15.क्या बिन्दु 1 से 12 तक दर्शाये गये कर्मचारियों की सेवायें निलम्बित अथवा समाप्त "स्वतन्त्र इच्छा सिद्धांत" पर की जाती है? अथवा उनके लिये बनायी गयी सेवा शर्तो, आचरण एवं अनुशासनिक नियमावलियों तथा निर्धारित की गई प्रक्रियाओं का कठोरता से पालन करते हुए किया जाता है?

16.यदि अनुशासनिक अधिकारी द्वारा की गई कार्यवाही से आरोपित कर्मचारी अपील, कैट अथवा विभिन्न न्यायालय द्वारा दोषमुक्त कर दिया जाता है एवं अनुशासनिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन न किये जाने के कारण आरोपित कर्मचारी को दी गई मानसिक, सामयिक एवं आर्थिक प्रताड़ना के कारण उन पर कौन सी अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है?

17.शिकायत निवारण तन्त्र–

(i)भारत सरकार द्वारा रचितकौन–कौनसेअधिनियमों एवं उनके विभाग के कौन–कौन से सेवा शर्तो (नागरिको एवं उनके कर्मचारियों हेतु) आचरण एवं अनुशासनिक नियमों के अन्तर्गत शिकायत निवारण तंत्र स्थापित किया गया है? उसके नाम पते, फोन, मोबाइल, ईमेल, पता वेबसाइड प्रकट करने की कृपा करें।

ii)विभागीय कार्य संचालन, कार्य बटँटवारा, सेवा शर्तो (नागरिकों/कर्मचारियों) आचरण एवं अनुशासनिक नियमों के उपबन्धों का सक्षम प्राधिकारियों द्वारा उललंघन किये जाने एवं उसके कारण नागरिकों एवं कर्मचारियों को प्रत्यक्ष एवं परोक्ष रूप से मिलने वाली आर्थिक, मानसिक एवं समय नष्ट होने वाली तथा विभाग/कार्यालय की छवि धूमिल होने के कारण उन जिम्मेदार सक्षम नियन्त्रक प्राधिकारियों पर सामयिक कार्यवाही करने हेतु कौन सा संविधिक कार्यवाही तन्त्र बनाया गया है

(iii)उक्त I एवं II बिन्दुओं से सम्बन्धित शिकायतों को कौन–कौन एवं किन अधिनियमों की किस धारा के अन्तर्गत दर्ज करा सकता है? तथा;

(iv)किन–किन शिकायती बिन्दुओं पर अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है? तथा;

(v)शिकायते किस पद नाम एवं विभाग/कार्यालय को की जायेंगी? तथा

(vi)शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया क्या होगी तथा शिकायती आवेदन का प्रारूप क्या होगा? तथा;

(vii)शिकायती बिन्दुओं पर जाँच किस पद नाम वाले सक्षम अधिकारी द्वारा किस प्रक्रिया का पालन करते हुए की जायेगी? तथा;

(viii)जाँच प्राधिकारी निर्धारित प्रक्रिया का अनुपालन करने में हीला हवाली/अनदेखी या अपना मनमाना आचरण करता है तो;

(ix)किस पद नाम एवं विभाग/ कार्यालय को अपील की जा सकेगी?

(x)अपील को निस्तारण किये जाने में कौन सी प्रक्रिया अपनायी जायेगी? तथा अपील करने में शिकायत कर्ता को कौन सी ,प्रक्रिया अपनानी होगी?

(xi)शिकायतों तथा प्राप्त अपीलों के निस्तारण की समय सीमा क्या होगी?

(xii)शिकायत जांच प्राधिकारी के प्रक्रियागत शिकायती आवेदन के निस्तारण करने में दोषी पाये जाने पर उस पर कौन सा दंड (लघु या दीर्घ) तथा अधिकतम कितने रूपयें कीशास्ति अधिरोपित की जायेगी?

(xiii) आन लाइन/ इंटरनेट के माध्यम से शिकायतों को दर्ज करने तथा अपीलों को दाखिल एवं प्रक्रिया अनुरूप सुनवाई किये जाने में कौन सी प्रक्रिया अपनायी गयी है?

आवदेनकर्ता

(डी०वी०अवस्थी)
655ख/२/061/ अलकापुरी
कुर्सी रोड, लखनऊ-226022

फा.सं. 6/15/2013-रोकड़
भारत सरकार
खान मंत्रालय

नई दिल्ली 18 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

श्री डी.वी. अवस्थी,
655ए/2/061,
अलकापुरी, कुर्सी रोड
लखनऊ-226022

विषय : श्री डी.वी. अवस्थी लखनऊ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना

कृपया ऊपर लिखित विषय पर दिनांक 31.10.2013 के उपभोक्ता मामले विभाग नई दिल्ली के का.ज्ञा. सं. 13012/2/2013-ओ एंड एम का संदर्भ ले। जहां तक मंत्रालय के रोकड़ अनुभाग का संबंध है, अपेक्षित सूचना मंत्रालयकी वेबसाइट अर्थात www.mines.nic.in पर उपलब्ध है ।।

2. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नही हैं तो इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपीलीय प्राधिकारी, श्री ए.के. मलिक, अवर सचिव, दूरभाष नं. 23384743 कक्ष संख्या 314 'डी' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 को अपील कर सकते है।

भवदीय

(एम.एस. ~~सजवाण~~)
अनुभाग अधिकारी/डीडीओ

प्रतिलिपि: पीआई सेल, खान मंत्रालय को उनके यू.ओ. सं.-ई-फाईल 2/192/2013-पीआई, दिनांक 21.11.2013 के संदर्भ में ।

Government of India
Ministry of Mines

....

No.24/12/2012-Vig.

New Delhi 2nd December, 2013

To

Shri D.V. Awasthi
655 A/2/061
Alkapuri, Kurshi Road,
Lucknow

Subject: Application under the Right to information Act, 2005.

......

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 21.10.2013, addressed to Ministry of Consumer affairs and to say that the information pertaining to Vigilance Section of Ministry of Mines is Nil.

2. If you are not satisfied with the reply, you can file an appeal within 30 days before Shri S.K. Mishra, Deputy Secretary, Ministry of Mines, Room No. 311-D, Shastri Bhawan, New Delhi.

Yours faithfully,

(Manoj Kumar Jha)
Section Officer & CPIO

Copy to: PI cell w.r.to their communication No. 2/192/2013-PI dated 21.11.2013

RTI MATTER

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

No. 40(62)/2013-M.I New Delhi, the 26th November, 2013

To

The Chairman-cum-Managing Director,
Mineral Exploration Corporation Ltd.,
High Land Drive Road,
Seminary Hills,
Nagpur-440006.

26/11/13

Subject: Transfer of an Application received under Right to Information Act, 2005 in the Ministry of Mines- Furnishing information reg.

Sir,

I am directed to transfer under Section 6(3) of the RTI Act 2005, an RTI application received from Shri D.V. Awasthi 655-A, Alkapuri, Kursi Road, Lucknow, 226022(UttarPradesh) received in this Ministry.

You are requested to provide the applicant, the information sought by him directly within the stipulated time limit under intimation to this Ministry.

Yours faithfully,

(M.R. Sathayanarayana)
CPIO Mines-I
Ministry of Mines

Copy for information to:

1. Shri D.V. Awasthi 655-A, Alkapuri, Kursi Road, Lucknow, 226022 (UttarPradesh).
2. PI Cell w.r.t. UO No. 2/192/2013-PI dated21.11.2013

(M.R. Sathayanarayana)
CPIO Mines-I
Ministry of Mines

27/11

सं.20/16/13-धातु-II
भारत सरकार
खान मंत्रालय

दिनांक 28.11.2013

सेवा में,

श्री डी.वी. अवस्थी
655 ए/2/061,
अलकापुरी, कुर्सी रोड़
लखनऊ-226022

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आपका आवेदन पत्र।

महोद्रय ,

उपरोक्त विषय पर आपके पत्र दिनांक 31.10.2013 के संदर्भ में सूचित किया जाता है कि धातु-II अनुभाग के संबंध में सूचना शून्य मानी जाए ।

इसके अतिरिक्त यदि आप उपरोक्त उत्तर से संतुष्ट नहीं है तो अपील प्राधिकारी (श्री एस.बी.डोभल, उपसचिव, खान मंत्रालय, कमरा सं. 314, डी-विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली) के समक्ष पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील कर सकते है।

भवदीय

(संजय कुमार)
अनुभाग अधिकारी

प्रतिलिपि प्रेषित :
पीआई सैल, खान मंत्रालय

Most Immediate
RTI Matter

Government of India
Ministry of Mines
(Metal-IV Section)

*****

No. 16/1/2010-Met.IV New Delhi, the 22nd November. 2013

To

Shri D. V.Avasthi,
655A/2/061,,
Alkapuri,Kurshi Road,
Lucknow-226022.
U.P.

Subject:- Information sought under RTI Act 2005-application received from Shri D.V. Avasthi dt. 21.10.2013.

******

Reference PI Section's U.O. No. efile. 2/292/2013-PI dated 21.11.2013 forwarding therewith Deptt. of Consumer Affairs O.M. No. 13012/2/2013 dated 31.10.2013 received in this office on 22.11.2013, on the above cited subject.

2. In so far as the Met.IV Section is concerned, the information may be treated as 'NIL.

3. If you are not satisfied with the above information you may appeal to Shri Bijender Singh, Deputy Secretary, Ministry of Mines, Room No. 314-D, Shastri Bhawan, New Delhi.

Yours faithfully,

(Vikas Raj)
Section Officer/CPIO

To

S.O. PI -Cell

स्पीड पोस्ट

भारत सरकार
खान मंत्रालय

फा॰सं॰ 5/39/2013-धातु III   नई दिल्ली, 19 दिसंबर, 2013

सेवा में,

श्री॰ डी॰ वी॰ अवस्थी
655 ए/2/061, अलकापुरी
कुर्सी रोड, लखनऊ - 226022

विषय :- सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत मांगी गई सूचना।

महोदय,

कृपया अपने पत्र दिनांक 21.10.2013 का अवलोकन करें।

2. जहाँ तक धातु-3 अनुभाग (हिन्दुस्तान कॉपर लिमिटेड), खान मंत्रालय का संबंध है आपके द्वारा मांगी गई सूचना जो कि लोक प्राधिकरण से संबंधित है, अपेक्षित सूचना 'शून्य' समझी जाए।

3. आपको यह भी सूचित किया जाता है कि यदि आप इस जवाब से संतुष्ट नहीं हैं तो आप इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर सक्षम प्राधिकारी श्री॰ एस॰ के॰ मिश्रा, उप सचिव, खान मंत्रालय, 311-डी, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के पास अपील कर सकते हैं।

भवदीय
(हस्ताक्षर)
(ए॰ के॰ मल्लिक)
सूचना अधिकारी/अवर सचिव, भारत सरकार

प्रतिलिपि :- प्री॰ आई॰ सैल (खान मंत्रालय) को उनके यू॰ ओ॰ सं॰ 2(173)/2013-पी॰ आई॰ दिनांक 21.11.2013 के संदर्भ में।

URGENT/SPEED POST
RTI MATTER

No.25 (1)/2013-Met. I
Government of India
Ministry of Mines

New Delhi,10.12.2013

To,
Sh. D.V. Awasthi,
655A/2/061 Alkapuri,
Kursi Road,
Lucknow – 226022.

Subject: Request for information under the RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to refer to your application dated 09.09.2013 received in this Ministry on 21.10.2013 from the Ministry of Consumenr Affairs, Food and Public Distribution of seeking information under the RTI Act, 2005 .

2. In so far as Metal-I Section of the Ministry of Mines is concerned the information may be treated as 'Nil'.

3. You are further informed that in case you are not satisfied with the reply of this Ministry, you may file an appeal before the Appellate Authority (Shri Kapil Rastogi, Appellate Authority & Director, Ministry of Mines, Room No. 311-D Wing, Shastri Bhavan, New Delhi) within a period of 30 days from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully,

(M.D. Sharma)
CPIO & Section Officer

Copy to: P.I. Cell – w.r.t. U.O. No. e-file 2/192/2013/00042 dated 21.11.2013

Recd.
23/12/13

No.41/1/2013 – प्रशासन/Admn.

भारत सरकार/Government of India

खान मंत्रालय/Ministry of Mines

(ADMINISTRATION SECTION)

****

Room No.338, A-wing, Shastri Bhawan,
New Delhi, the 18th December, 2013.

To

Shri D.V. Awasthi,
655A/2/061,
Alkapuri, Kursi Road,
LUCKNOW – 226022 [UP].

Subject:**Information sought under Right to Information Act, 2005 - seeking information under RTI Act, 2005.**

****

Plese refer to your RTI application No.niL dated 21.10.2013 on the above subject, addressed to Central Public Information Officer, Ministry of Mines, Government of India. So far as Administration Section of this Ministry is concerned, it is informed that this Section has no information to furnish.

2. However, if you are not satisfied with the above information, you may file an appeal before the Appellate Authority, i.e. Shri Shersha, Deputy Secretary, Ministry of Mines, 309-D, Shastri Bhawan, New Delhi within 30 days from the receipt of this letter.

V. Prasad

(V. Prasad)
Section Officer/CPIO
☎: 2338 1631

Copy for information to:-

PI Cell, Ministry of Mines with reference to their U.O. No.e-File 2/192/2013-P.I. dated 21.11.2013.

फा.सं. 1602/1/2011-हिंदी.

भारत सरकार

खान मंत्रालय

नई दिल्ली 17 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

श्री डी.वी. अवस्थी,
655ए/2/061,
अलकापुरी, कुर्सी रोड
लखनऊ-226022

विषय : श्री डी.वी. अवस्थी लखनऊ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना

कृपया ऊपर लिखित विषय पर दिनांक 31.10.2013 के उपभोक्ता मामले विभाग नई दिल्ली के का.ज्ञा. सं. 13012/2/2013-ओ एंड एम का संदर्भ ले। जहां तक मंत्रालय के हिंदी अनुभाग का संबंध है, सूचना 'शून्य' समझी जाए ।

2. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नही हैं तो इस पत्र की प्राप्ति की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपीलय प्राधिकारी, श्री एन.एस. रावत, संयुक्त निदेशक (राजभाषा) कमरा सं. 303 'डी' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली -110001 को अपील कर सकते है।

भवदीय

(बी.एस.रावत)
सहायक निदेशक (राजभाषा)

प्रतिलिपि: पीआई सेल, खान मंत्रालय को उनके यू.ओ. सं.-ई-फाईल 2/192/2013-पीआई, दिनांक 21.11.2013 के संदर्भ में ।

BY SPEED POST

फा.सं. 41/24/2013-स्था.
भारत सरकार
खान मंत्रालय

नई दिल्ली 18th दिसम्बर, 2013

सेवा में,

श्री डी.वी. अवस्थी,
655ए/2/061,
अलकापुरी, कुर्सी रोड
लखनऊ-226022

विषय : श्री डी.वी. अवस्थी लखनऊ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना

कृपया ऊपरलिखित विषय पर दिनांक 31.10.2013 के उपभोक्ता मामले विभाग के का.ज्ञा. सं. 13012/2/2013-ओ एंड एम का संदर्भ ले। जहां तक मंत्रालय की स्था. अनुभाग का संबंध है, अपेक्षित सूचना खान मंत्रालय की वेबसाइट अर्थात् www.mines.nic.in पर उपलब्ध है।

2. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट नही हैं तो इस पत्र की प्राप्त की तारीख से 30 दिनों के भीतर अपील प्राधिकारी, खान मंत्रालय, कमरा सं. 312 'डी' विंग शास्त्री भवन, नई दिल्ली को अपील कर सकते है।

भवदीय

(आर.आर. मंडल)
सीपीआईओ

प्रतिलिपि: पीआई सेल, खान मंत्रालय, यू.ओ. सं.-ई-फाईल 2/192/2013-पीआई.दिनांक 21.11.2013

F.No. 41/24/2013-Estt.
GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES
*****

New Delhi, the 18th December, 2013

To

Shri D.V. Awasthi,
655 A/2/061,
Alkapuri, Kursi Road
Lucknow – 226022.

Sub. : **Information sought under Right to Information Act, 2005 by Shri D.V. Awasthi, Lucknow.**

This has the reference to Department of Consumer Affairs' O.M. No. 13012/2/2013-O&M dated 31.10.2013 on the above mentioned subject. As per the Estt. Section of this Ministry is concerned, the requisite information is available on the website of Ministry of Mines, i.e., ***www.mines.nic.in.***

2. In case you are not satisfied with the reply, you may file an appeal before the Appellate Authority, Ministry of Mines, Room No. 312 'D' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi, within a period of 30 days from the date of receipt of this letter.

Yours faithfully,

(R.R. Mandal)
CPIO

Copy to: P.I. Cell, Ministry of Mines, U.O. No.- e-File 2/192/2013-P.I. dated 21.11.2013

RTI MATTER

No. 16/1/2013-M.VI(Vol.II)
Government of India
Ministry of Mines
.....

New Delhi, dated the 18th December, 2013.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: RTI application dated 21.10.2013 of Shri D.V. Awasthi, Lucknow.

The undersigned is directed to refer PI Cell Section UO No. e.F.2/192/2013-PI dated 21.11.2013 on the above subject and to inform that in so far as Mines-VI Section is concerned, the information may be treated as nil.

(Ajay Kumar Kadian)
Under Secretary and CPIO

Shri Rajesh Shah
Section Officer (P.I. Cell)
Ministry of Mines
Shastri Bhawan.

SPEED POST
RTI MATTER

Government of India
Ministry of Mines

No. 01(02)/2013-RC-II

New Delhi, the 18.11.2013.

To

Sh.D.V.Awasthi,
655 A/2/061,Alkapuri,
Kursi Road,Lucknow-226022

Sub: RTI Act,2005-reg.

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 21.10.2013 and to to say that the RC Section is concerned the requisite information is 'Nil'.

2. In case you are not satisfied with above reply you may prefer the first appeal under Section 19 of the RTI Act, 2005 before the Appellate Authority Shri Bijender Singh,Deputy Secretary Ministry of Mines, Room No.315 `D' Wing, Shastri Bhawan, New Delhi within 30 days of receipt of this communication.

Yours faithfully,

K.B.S.

(K.B.Singh)
Section Officer/ CPIO

P.I.Cell w.r.t. U.O. No.2/192/2013-PI, dated 21.11.2013

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
पंजीकृत डाक / अतितत्काल

मिसिल सं. 20/85/2013- समन्वय
भारत सरकार
खान मंत्रालय

शास्त्री भवन
नई दिल्ली, 18 दिसम्बर, 2013

सेवा में,

श्री डी. वी. अवस्थी,
655 ए/ 2 / 061,
अलकापुरी, कुर्सी रोड,
लखनऊ – 226022

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत श्री के. भवानी प्रदीप, बेंगलोर द्वारा मांगी गई सूचना !

महोदय,

उपर्युक्त विषय पर इस मंत्रालय को प्राप्त आपके पत्र दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 का उल्लेख करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस मंत्रालय के समन्वय अनुभाग से संबन्धित बिन्दु सं. 1 से 3 तक सूचना शून्य समझी जावे तथा बिन्दु सं. 4 से संबन्धित समस्त सामान्य जानकारियां मंत्रालय की वेब साइट http://www.mines.nic.in पर उपलब्ध है ।

2. यदि आप इस उत्तर से संतुष्ट न हों तो इस पत्र की प्राप्ति के 30 दिन के अन्दर श्री शेरशा, उप सचिव (प्रथम अपीलीय प्राधिकारी), कमरा सं. 309 'डी' विंग, खान मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली के समक्ष अपील कर सकते हैं !

आपका

(संजय सिंह)
अनुभाग अधिकारी एंव सी.पी.आई.ओ.

प्रति: पी.आई. पृकोष्ठ को उनके यू.ओ.सं. ई-मिसिल 2/192/2013-पी.आई. दिनांक 21.11.2013 के संदर्भ में !

(संजय सिंह)
अनुभाग अधिकारी एंव सी.पी.आई.ओ.

स्पीड पोस्ट द्वारा

भारत सरकार
खान मंत्रालय
शास्त्री भवन : नई दिल्ली

पत्र सं. 2/192/2013--पी.आई. दिनांक – 18.12.2013

सेवा में-

श्री. डी. वी. अवस्थी,
655 ए/2/061,
अलकापुरी, कुर्सी रोड,
लखनऊ - 226022.

विषय – श्री. डी.वी. अवस्थी, लखनऊ द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत मांगी गई सूचना के संबंध में ।

महोदय,

कृपया ऊपर लिखित विषय पर दिनांक 31.10.2013 के उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के का. ज्ञा. सं. 13012/2/20013-ओ.एंड.एम. का संदर्भ ले ।

2. आपके आवेदन के मद संख्या 7 में मांगी गई सूचना इस पत्र के साथ संलग्न की जा रही है । इस संबंध में अन्य सूचना के लिए इस मंत्रालय की वेबसाईट www.mines.nic.in में देखी जा सकती है ।

3. प्रथम अपीलिय अधिकारी का विवरण - श्री. एस. के. मिश्रा, उप सचिव, खान मंत्रालय, कमरा क्र. 311, 'डी' विंग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली - 110001. प्रथम अपील सूचना प्राप्ति के 30 दिनों के भीतर दायर की जा सकती है ।

भवदीय

(राजेश शाह/Rajesh Shah)
सी.पी.आई.ओ./CPIO

Ministry of Mines

Nodal Officer (RTI)	ACPIO
Sh. Sarat Kumar Mishra Dy. Secretary Room No. D-311 Shastri Bhawan, New Delhi - 110001 Tel. 91-11-23384740	Sh. Rajesh Shah Section Officer, Room No. D-302, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel. 91-11-23387919

S.No	CPIO	Subject matter dealt in the concerning (Section)	Appellate Authority
1	Sh. Ram Rasik Mandal, Section Officer	Establishment	Sh. S.B. Doval, Dy. Secretary, Room No- D-312, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23384593
2	Sh. Adhir Kumar Mallik, Under Secretary, Room No. D-314, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23384743	Administration and Cash	Sh. Shersha Dy. Secretary, Room No- D-309, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23381172
3	Sh. Prabhat Kumar, Under Secretary Room No. 303 'D' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi – 110001 Tel. 91-11-23383109	Internal Finance (IF) & Plan Coordination Unit, RFD.	Dr. Chandramani Sharma, Director, Room No. D-313 Shastri Bhavan, New Delhi 110001 Tel. 91-11-23383096
4	Sh. Ajay Kumar Kadian Under Secretary Room No- D-303, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23383946	Mines-III (IBM) and Development of Mining Tenement System. Mines – VI / DS(S).	Sh. Rokhum Lalremruata, Director Room No. D-308 Shastri Bhavan, New Delhi 110001 Tel:91-11-23388345
5	Sh. Amit Choubey, Section Officer, Room No. D-304, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23387919	Mines – IV (Mineral Concessions)	Sh. Adhir Kumar Mallik, Under Secretary, Room No. D-314, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23384743
6	Sh. Sanjay Kumar, Section Officer Room No- D-302, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23389211	Metal – II (BGML) Metal – II (HZL)	Sh. S.B. Doval, Dy. Secretary, Room No- D-312, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23384593

7	Sh. Arun Kumar Mandal, Under Secretary, D-303, Shastri Bhawan New Delhi 110001	Metal – I (NALCO)	Sh. Kapil Rastogi, Director Room No- D-310, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23381136
		Metal – I (BALCO) [only in respect of post disinvestment matters]	Sh. S.B. Doval, Dy. Secretary, Room No- D-312, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23384593
8	Sh. Sanjay Singh, Section Officer, Room No. D-305, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23389513	Coordination including RFD and Parliament.	Sh. Shersha Dy. Secretary, Room No- D-309, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23381172
		Ministry's website, Publications and Conferences/Workshops in India.	Sh. Sarat Kumar Mishra Dy. Secretary Room No. D-311 Shastri Bhawan, New Delhi - 110001 Tel. 91-11-23384740
9	Sh. Rajesh Shah Section Officer, Room No. D-302, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel. 91-11-23387919	Public Information Cell	Sh. Sarat Kumar Mishra Dy. Secretary Room No. D-311 Shastri Bhawan, New Delhi - 110001 Tel. 91-11-23384740
10	Sh. Kul Bhushan Singh, Section Officer, Room No. D-101 Shastri Bhavan New Delhi – 110001 Tel. 91-11-23384070	Revision Cell – I & II	Sh. Bijender Singh Dy. Secretary Room No. D-315, Shastri Bhawan, New Delhi 110001 Tel. 91-11-23389025
11	Sh. Arun Kumar Mandal, Under Secretary, D-303, Shastri Bhawan New Delhi 110001	Mines-II (GSI) (GSI establishment matters)	Sh. S.B. Doval, Dy. Secretary, Room No- D-312, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23384593
12	Shri Birendra Singh Rawat, Asstt. Director (OL) Room No. D-305, Shastri Bhavan, New Delhi – 110001 Tel. 91-11-23383085	Hindi Section	Sh. Netra Singh Rawat, Joint Director (OL), Room No. 303-D, Shastri Bhavan, New Delhi 110001 Tel. No.23388061

13	Sh. Ashis Bishayee, Section Officer Room No- D-301 Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23384225	International Cooperation (IC) including MOUs and plans for foreign visits and bilateral/multilateral/UN bodies	Sh. Kapil Rastogi, Director, Room No- D-310, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23381136
14	Smt. Abha Mishra, Under Secretary, Block 11, 5th floor, Room No. 528, CGO Complex, Lodhi Road, New Delhi – 1100003 Tel. 91-11-24364196	Metal – IV (S&T) including NIRM, NIMH & JNARDDC, C-Tempo. Record Section	Sh. Bijender Singh Dy. Secretary Room No. D-315, Shastri Bhawan, New Delhi 110001 Tel. 91-11-23389025
15	Sh. Adhir Kumar Mallik, Under Secretary, Room No. D-314, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23384743	Metal – III (Copper including HCL)	Sh. Sarat Kumar Mishra Dy. Secretary Room No. D-311 Shastri Bhawan, New Delhi - 110001 Tel. 91-11-23384740
16	Sh. Manoj Kumar Jha Section Officer, Room No. D-305, Shastri Bhavan, New Delhi – 110001 Tel. 91-11-23382715	Vigilance Section and Public Griveance Cell	Sh. Sarat Kumar Mishra Dy. Secretary Room No. D-311 Shastri Bhawan, New Delhi - 110001 Tel. 91-11-23384740
17	Sh. Ajay Kumar Kadian Under Secretary Room No- D-303, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23383946	Mines – III (IBM)	Sh. Rokhum Lalremruata, Director Room No. D-308 Shastri Bhavan, New Delhi 110001 Tel:91-11-23388345
18	Sh. M.R. Sathyanarayanan, Section Officer Room No. 302-D, Shastri Bhavan, New Delhi – 110001 Tel. 91-11-23389211	Mines-I (MECL) and National Geoscience Awards.	Sh. Joyesh Bagchi Dy. Secretary (T), Room No- D-306, Shastri Bhawan New Delhi 110001 Tel:91-11-23385329
19	Sh. Arun Kumar Mandal, Under Secretary, D-303, Shastri Bhawan New Delhi 110001	Mines-I (Technical matters of Geological Survey of India)	
20	Sh. Surendra Karai, Section Officer, Room No. 301-D, Shastri Bhavan, New Delhi – 110001 Tel. 91-11-233842215	Mines-V (Mineral Policy, Sustainable Development, Trade Policy) and work related to Shah Commission.	Sh. Rokhum Lalremruata, Director Room No. D-308 Shastri Bhavan, New Delhi 110001 Tel:91-11-23388345

Speed Post

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

No. 9/1/2013-MIV

Dated the 19/12/13

To

Shri D.V.Avasthi,
655 A/2/061, Alkapuri,
kursi Road, Lucknow-226022.

Sub: - Information sought under RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 21.10.2013 on the subject cited above.

2. So far as Mines-IV Section of this Ministry is concerned, the required information may be treated as 'Nil'.

3. If you are not satisfied with reply / information, you may prefer an appeal to Shri A.K. Mallik, Under Secretary and Appellate Authority, Ministry of Mines, Room No. 314 'D' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi within 30 days of receipt of information.

Yours faithfully,

19/12/13

(Amit Choubey)
Section Officer and CPIO

Copy to:-

PI Cell, Ministry of Mines with reference their U.O. No. 2/173/2013P.I dated 21.11.2013

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005
नियत तिथि/Due date –19.12.2013
TIME BOUND/RTI MATTER

भारत सरकार
खान मंत्रालय
शास्त्री भवन : नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन ।

उपभोक्ता मामले विभाग, नई दिल्ली के कार्यालय ज्ञापन क्रमांक 13012/2/2013-ओ.एडं.एम. दिनांक 31.10.2013 के साथ संलग्न श्री. डी.वी. अवस्थी, लखनऊ से प्राप्त तीन आवेदन (प्रतिलिपी) दिनांक 21.10.2013 को इस पत्र के साथ उचित कार्यवाई हेतु प्रस्तुत किया जा रहा है ।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार यदि मांगी गई सूचना का विषय अन्य सरकारी कार्यालय से जुडा/सम्बध्द है तो वह अधिकारी, जिसको आवेदन भेजा गया है, ऐसे आवेदन को संबंधित सरकारी अधिकारी/कार्यालय को, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से यथाशीघ्र लेकिन 5 दिनों के भीतर स्थानांतरित कर सकेगा तथा इस बारे में आवेदक को भी सूचित करेगा।

3. आपसे अनुरोध है कि उक्त आवेदन को आर.टी.आई. ऑनलाईन पोर्टल में **प्राप्ति के तीन दिनों में तुरंत प्रविष्ट** करके आवेदक को पावती भेजी जाए एवं सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के नियमों का पालन करते हुए उसपर निर्धारित समय में कार्यवाई की जाए ।

4. उपरोक्त आवेदन को ई-ऑफिस नोटिस बोर्ड से डाऊनलोड करके प्रार्थी को सूचना भेजी जाए एवं प्रतिलिपी इस प्रकोष्ठ को भी सूचनार्थ भेजी जाए ।

शरत कुमार मिश्रा
21.11.13
(एस. के. मिश्रा)
उप सचिव एवं नोडल अधिकारी

संलग्न- FTS 17089

श्री. अजय कुमार कादियान, अवर सचिव (M-V/M-VI)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. ए.के. मलिक, अवर सचिव (Met.III)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. प्रभात कुमार, अवर सचिव (IF)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. राम रशिक मंडल, अनुभाग अधिकारी (Estt.)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. वंगारा प्रसाद, अनुभाग अधिकारी (Admn.)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. एम.आर. सत्यनारायणन, अनुभाग अधिकारी (M-I)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय

पृष्ठ 2.....

श्री. रविंद्र कुमार, अनुभाग अधिकारी (M-II)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. कुमार अमरेंद्र, अनुभाग अधिकारी (M-III)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. अमित चौबे, अनुभाग अधिकारी (M-IV)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. एम.डी. शर्मा, अनुभाग अधिकारी (Met.I)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. संजय कुमार, अनुभाग अधिकारी (Met.II)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. बिरेंद्र सिंह रावत, सहायक निदेशक (OL)/ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. संजय सिंह, अनुभाग अधिकारी (Cdn.)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. आशिष बिषयि, अनुभाग अधिकारी (IC)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. मनोज कुमार झा, अनुभाग अधिकारी (Vig/PG)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. एम. एस. साजवाण, अनुभाग अधिकारी (Cash)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. विकास राज, अनुभाग अधिकारी(Met.IV)/ केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
श्री. कुलभूषण सिंह, अनुभाग अधिकारी (RC)/केन्द्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय

पी.आई. सैल/PI Cell U.O. No. ई-मिसिल 2/192/2013-पी.आई. दिनांक/Dated 21.11.2013

173

पी. आई. प्रकोष्ठ

क्रमांक 2/192/2013-पी. आई. दिनांक 21.11.2013

विषय - RTI application of Sh. D.V. Avasthi, Lucknow for seeking information reg.

Name of the Officer/Section	Signature	Name of the Officer/Section	Signature
PS to MOS			
US (PK) IF	21/11		
US (AKM) Met.3	21/11		
US (AKK) M-V/VI	21/11		
Asstt. Dir. (OL)	21/11		
SO (Estt.)	21-11-13		
SO (Adm.)	21/11		
SO (Cdn.)	21/11		
DDO (Cash)			
SO (M-I)	21.11.13		
SO-M-II	21/11/13		
SO (M-III)	21/11		
SO (M-IV)	21.11.13		
SO (Met. I)	21/11/13		
SO (Met. II-Z/G)	21/11/13		
SO (Met. IV)	21/11		
SO (IC)	21/11/13		
SO (Vig.)			
SO(RC-I&II)	21/11/13		